रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 24 फरवरी, 2024 ई० (फाल्गुन 05, 1945 शक संवत्) [संख्या 08

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	73–88	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	203–212	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	37–50	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	177–213	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

संस्कृति विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4173/चार-2023–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या-1229/चार-/2023, लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2023 की पुष्टि करती हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	ग्राम-मुन्नालाल खेड़ा, मजरा-सैथा, तहसील-सदर	बड़ा शिवाला (श्री सिद्धनाथ मन्दिर)	567	0.2780	उत्तर–गाटा संख्या 563-रामकुमार दक्षिण–गाटा संख्या 562-रास्ता पूरब–गाटा संख्या 568-सन्तोष आदि पश्चिम–गाटा संख्या 563-रामकुमार

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4173/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification No. 1229/Four-/2023, Lucknow Dated April 24, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4173/Four-2023-In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the ancient monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956. (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act.

Schedule

SI. No	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Lucknow	Village-Munnalal Khera, Saitha, Tehsil-Sadar	Bada Shivala (Shri Siddhnath Mandir)	567	0.2780	North-Gata No. 563-Ram kumar South-Gata No. 562 Road East-Gata No. 568-Santosh and others West- Gata No. 563-Ram kumar.

संस्कृति विभाग

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4174/चार-2023—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या-2058/चार-2023, लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2023 की पुष्टि करती हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	तहसील-मऊ	दशरथ घाट	859	40.049 (पहाड़)	उत्तर—गाटा संख्या 856 (बंजर) पूर्व—गाटा संख्या 827 एवं 845 (बंजर) दक्षिण—सीमा ग्राम-देवरा पश्चिम—सीमा ग्राम लौरी
2	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	ग्राम-ईटहा देवीपुर तहसील-मऊ	ईटहा देवीपुर मन्दिर	228/1	0.114	उत्तर—गाटा संख्या 227 एवं 230 पूर्व—गाटा संख्या 229 एवं 230 दक्षिण—नहर पश्चिम— गाटा संख्या 194, 195 एवं 196

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4174/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification No. 2058/Four-2023, Lucknow Dated July 14, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4174/Four-2023-In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the ancient monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956. (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act.

Schedule

SI. No	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Chitrakoot	Tehsil-Mau	Dashrath Ghat	859	40.049	North-Revenue Plot No 856 (Barren land) East- Revenue Plot No 827 and 845 West- Border of Village-Lauri South- Border of Village-Devra
2	Uttar Pradesh	Chitrakoot	Village-Etaha Devipur, Tehsil-Mau	Etaha Devipur Temple	228/1	0.114	North-Revenue Plot No 227 and 230 East- Revenue Plot No 229 and 230 West- Revenue Plot No 194, 195 and 196 South- Canal

संस्कृति विभाग

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4175/चार/2023—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या-1336/चार-2023, लखनऊ 29 मई, 2023 की पुष्टि करती हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	महोबा	कुलपहाड़ तहसील-कुलपहाड़	सेनापति महल	4561	0.113	उत्तर–गाटा संख्या 4564 पूर्व–गाटा संख्या 4564 दक्षिण–गाटा संख्या 4564 पश्चिम–गाटा संख्या 4564

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4175/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification No. 1336/Four-2023, Lucknow Dated May 29, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4175/Four-2023-In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the ancient monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956. (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act.

Schedule

SI. No	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Mahoba	Kulpahad Tehsil-Kulpahad	Senapati Mahal	4561	0.113	North-Revenue Plot No 4564 East-Revenue Plot No 4564 South-Revenue Plot No 4564 West-Revenue Plot No 4564

संस्कृति विभाग

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4183/चार-2023–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या-1335/चार-2023, लखनऊ 29 मई, 2023 की पुष्टि करती हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	कसहाई, तहसील कर्वी	गोल तालाब	2149	हेक्टेयर 0.2790	उत्तर–गाटा संख्या 2148 पूर्व–गाटा संख्या 2148 दक्षिण–गाटा संख्या 2148 पश्चिम–गाटा संख्या 2148

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4183/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification No. 1335/Four-2023, Lucknow Dated May 29, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4183/Four-2023-In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the ancient monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956. (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act.

Schedule

SI. No	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh	Chitrakoot	Kasahai, Tehsil-Karvi	Gol Talab	2149	Hectare 0.2790	North-Revenue Plot No 2148 East-Revenue Plot No 2148 West-Revenue Plot No 2148 South-Revenue Plot No 2148

संस्कृति विभाग

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4184/चार-2023—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मान्यूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	ग्राम-बसेला, परगना एवं तहसील-राठ	बसेला की हवेली	526	0.020	उत्तर—गाटा संख्या 456 दक्षिण—गाटा संख्या 525 एवं 527 पूर्व—गाटा संख्या 470 पश्चिम—गाटा संख्या 370 एवं 431
2	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	ग्राम-जिगनी, ब्लॉक-गोहाण्ड, परगना एवं तहसील-राठ	जिगनी की गढ़ी	1013	1.733	उत्तर—गाटा संख्या 1009, 1010 एवं 1016 दक्षिण—गाटा संख्या 1012, 1014 एवं बिना नंबर का गाटा पूर्व—गाटा संख्या 1011 एवं 1012 पश्चिम—गाटा संख्या 1016 एवं 1113

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, हमीरपुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
राकेश चन्द्र शर्मा,
विशेष सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4184/Four-2023 Dated October 12, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 4184/Four-2023--In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act. no. VII of 1904.

Schedule

SI. No	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Hamirpur	Village-Basela, Tehsil-Rath	Basela Ki Haweli	526	0.020	North- Revenue Plot No 456 South- Revenue Plot No 525 and 527 East- Revenue Plot No 470 West- Revenue Plot No 370 and 431
2	Uttar Pradesh	Hamirpur	Village-Jigni, Block-Gohand, Pargana and Tehsil-Rath	Jigni ki Gadhi	1013	1.733	North- Revenue Plot No 1009, 1010 and 1016 South- Revenue Plot No 1012, 1014 and Revenue Plot without Number East- Revenue Plot No 1011 and 1012 West- Revenue Plot No 1016 and 1113

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Hamirpur within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By order,
Rakesh Chandra Sharma,
Special Secretary

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

08 जून, 2023 ई0

संख्या R-1490 / 38-1-23-1 पदोन्नति / 2021—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री कमला कान्त पाण्डेय परियोजना निदेशक, जनपद लखीमपुर खीरी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त / मुख्य विकास अधिकारी / वरिष्ठ उपायुक्त / संयुक्त मिशन निदेशक / संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती है।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री कमला कान्त पाण्डेय की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करते रहेंगे।

संख्या R-1491 / 38-1-2023-1 पदोन्नति / 2021—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त (स्वतः रोजगार), जनपद ललितपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त / मुख्य विकास अधिकारी / वरिष्ठ उपायुक्त / संयुक्त मिशन निदेशक / संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नत किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती है।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

13 जून, 2023 ई0

संख्या R-1532 / 38-1-23-02 पदोन्नति / 2021—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत सुश्री प्रवीणा शुक्ल, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-कानपुर नगर को उनसे कनिष्ठ श्री राज कुमार की पदोन्नति की तिथि 16 जनवरी, 2023 से जिला विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक / उपायुक्त (श्रम रोजगार) / उपायुक्त (स्वतः रोजगार) / उपायुक्त (मुख्यालय) पे मैट्रिक्स लेवल-11 वेतनमान (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर नोशनल (प्रकल्पित) पदोन्नति एवं आदेश निर्गत होने की तिथि से नियमित पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती है।

2—सुश्री प्रवीणा शुक्ल की पदोन्नति के फलस्वरूप उनकी नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच सुश्री प्रवीणा शुक्ल अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करती रहेंगी।

संख्या R-1533 / 38-1-23-02 पदोन्नति / 2021—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री आलोक आर्य, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-फर्रूखाबाद को उनसे कनिष्ठ श्री रमेश कुमार यादव की पदोन्नति की तिथि 16 जनवरी, 2023 से जिला विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक / उपायुक्त (श्रम रोजगार) / उपायुक्त (स्वतः रोजगार) / उपायुक्त (मुख्यालय) पे मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर नोशनल (प्रकल्पित) पदोन्नति एवं आदेश निर्गत होने की तिथि से नियमित पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती है।

2—श्री आलोक आर्य की पदोन्नति के फलस्वरूप उनकी नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री आलोक आर्य अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करते रहेंगे।

नियुक्ति / विज्ञप्ति

06 जुलाई, 2023 ई0

सं0 आर-741 / 38-1-2023-3503 / 2023—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री शाश्वत अग्रवाल पुत्र श्री विनोद कुमार (अनुक्रमांक-104810) को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 / — ग्रेड पे रु0 5,400 / — (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500 / —) में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने के आदेश एतद्द्वारा श्री राज्यपाल प्रदान करती हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी अपनी योगदान आख्या कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, 10वां तल, जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, पासपोर्ट साइज की नवीनतम 04 फोटो, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को योगदान आख्या प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को योगदान के स्थल तक जाने / पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी की रिक्त पद के सापेक्ष तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

6—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-929 / 38-1-2023-3503 / 2023—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य, प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री सचिन कुमार पुत्र श्री सीता राम (अनुकमांक-327748) को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 / — ग्रेड पे रु0 5,400 / — (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500 / —) में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने के आदेश एतद्द्वारा श्री राज्यपाल प्रदान करती हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी अपनी योगदान आख्या कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, 10वां तल, जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, पासपोर्ट साइज की नवीनतम 04 फोटो, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को योगदान आख्या प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को योगदान के स्थल तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी की रिक्त पद के सापेक्ष तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

6—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-1024/38-1-2023-3503/2023—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य, प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री नेहा रावत पुत्री श्री शिव प्रसाद रावत (अनुकमांक-095784) को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100/—ग्रेड पे रु0 5,400/—(सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/—) में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने के आदेश एतद्द्वारा श्री राज्यपाल प्रदान करती हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी अपनी योगदान आख्या कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, 10वां तल, जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, पासपोर्ट साइज की नवीनतम 04 फोटो, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को योगदान आख्या प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को योगदान के स्थल तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी की रिक्त पद के सापेक्ष तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

6—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-1841/38-1-2023-3503/2023—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य, प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री श्रुति सिंह पुत्री श्री अरविन्द सिंह (अनुकमांक-555110) को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे रु0 5,400/—(सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन

मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/–) में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे किये जाने के आदेश एतद्द्वारा श्री राज्यपाल प्रदान करती हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी अपनी योगदान आख्या कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, 10वां तल, जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, पासपोर्ट साइज की नवीनतम 04 फोटो, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को योगदान आख्या प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4–सम्बन्धित अधिकारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को योगदान के स्थल तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी की रिक्त पद के सापेक्ष तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

6–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

29 सितम्बर, 2023 ई0

संख्या R-2701/38-1-23-02 पदोन्नति/2021–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 10 वेतनमान (रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री उमाशंकर सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-बस्ती को उनसे कनिष्ठ श्री ऐश्वर्य यादव की पदोन्नति की तिथि 31 मई, 2023 से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय) पे मैट्रिक्स लेवल लेवल-11 वेतनमान (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर नोशनल (प्रकल्पित) पदोन्नति एवं आदेश निर्गत होने की तिथि से नियमित पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2–श्री उमाशंकर सिंह की पदोन्नति के फलस्वरूप उनकी नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री उमाशंकर सिंह अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करते रहेंगे।

संख्या R-2703/38-1-23-1 पदोन्नति/2023–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री राजित राम मिश्रा, जिला विकास अधिकारी, जनपद बलिया को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राजित राम मिश्रा की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करते रहेंगे।

संख्या R-2704/38-1-23-1 पदोन्नति/2023–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री राम कृपाल, उपायुक्त (स्वतः रोजगार), जनपद हमीरपुर (सम्प्रति उपायुक्त (स्वतः रोजगार), जनपद वाराणसी हेतु स्थानान्तरित) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राम कृपाल की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करते रहेंगे।

12 अक्टूबर, 2023 ई0

संख्या R-2829/38-1-2023-02 पदोन्नति/2023–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 10 (रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री बब्बन राय, खण्ड विकास अधिकारी, सम्बद्ध कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय) पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति एवं आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री बब्बन राय की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करते रहेंगे।

संख्या R-2830/38-1-2023-02 पदोन्नति/2023–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 10 (रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री अजय कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-बुलन्दशहर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय) पे मैट्रिक्स लेवल लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अजय कुमार सिंह की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करते रहेंगे।

संख्या R-2831/38-1-2023-02 पदोन्नति/2023–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल 10 (रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्रीमती सुषमा देवी, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-फतेहपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय) पे मैट्रिक्स लेवल लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती सुषमा देवी, की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करती रहेंगी।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

प्रोन्नति

30 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 2475/22-1-2022-107/99–चयन वर्ष-2022-23 में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यरत् अधिकारी श्री उदय प्रताप मिश्रा ज्येष्ठता क्रमांक-31) को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही वरिष्ठ अधीक्षक श्रेणी-1 (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600/– यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– यह आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी माना जायेगा।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

15 जून, 2023 ई0

सं0 122/1341/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0अनु0-2023-2(33)/2013–शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2023/4441/89–व्या0शि0एवं कौ0वि0अनु0-2022-2(33)/2013, दिनांक 02 जनवरी, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के उप निदेशक/उप शिक्षुता सलाहकार/प्रधानाचार्य (श्रेणी-1) वेतनमान रु0 67,700-2,08,700/– लेवल-11 में कार्यरत् श्री प्रमोद कुमार शाक्यवार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) वेतनमान रु0 78,800-2,09,200/– लेवल-12 के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी थी।

2–उप निदेशक/उप शिक्षुता सलाहकार/प्रधानाचार्य (श्रेणी-1) से संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) के पद पर पदोन्नत किये गये श्री प्रमोद कमार शाक्यवार, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा उक्त पदोन्नति का स्वेच्छा से परित्याग (Forgo) करने का अनुरोध किया है।

3– अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के उपनिदेशक/उप शिक्षुता सलाहकार/प्रधानाचार्य (श्रेणी-1) से संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) के पद पर की गयी पदोन्नति को परित्याग (Forgo) करने संबंधी अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री प्रमोद कमार शाक्यवार, प्रधानाचार्य (श्रेणी-1) को संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) पद का परित्याग (Forgo) करने की सहर्ष स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान करते हैं।

4– श्री प्रमोद कुमार शाक्यवार, प्रधानाचार्य श्रेणी-1 भविष्य में पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं होंगे।

सं0 123/1366/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0अनु0-2023-2(33)/2013–शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2023/416/89–व्या0शि0एवं कौ0वि0अनु0-2023-2(33)/2013, दिनांक 02 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के उप निदेशक/उप शिक्षुता सलाहकार/प्रधानाचार्य (श्रेणी-1) वेतनमान रु0 67,700-2,08,700/– लेवल-11 में कार्यरत् श्री संजय आर्य को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) वेतनमान रु0 78,800-2,09,200/– लेवल-12 के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी थी।

2– उप निदेशक/उप शिक्षुता सलाहकार/प्रधानाचार्य (श्रेणी-1) से संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) के पद पर पदोन्नत किये गये श्री संजय आर्य, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा उक्त पदोन्नति का स्वेच्छा से परित्याग (Forgo) करने का अनुरोध किया है।

3– अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के उपनिदेशक/उप शिक्षुता सलाहकार/प्रधानाचार्य (श्रेणी-1) से संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) के पद पर की गयी पदोन्नति को परित्याग (Forgo) करने संबंधी अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री संजय आर्य, प्रधानाचार्य (श्रेणी-1) को संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) पद का परित्याग (Forgo) करने की सहर्ष स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान करते हैं।

4– श्री संजय आर्य, प्रधानाचार्य श्रेणी-1 भविष्य में पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं होंगे।

आज्ञा से,
डॉ0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव।

नियोजन विभाग

अनुभाग–1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

21 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 1028/35-1-2022-3/4(6)/82–उ0प्र0 नियोजन शोध सेवा नियमावली 1982 (यथा संशोधित, 1994) के प्राविधानों के अनुसार राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्रा0) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित शोध अधिकारी (प्राविधिक) को वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर पे बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600/– में वर्तमान तैनाती के स्थान पर एतद्द्वारा वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान की जाती है–

1–श्री प्रभा शंकर ओझा

2–श्री देवेन्द्र कुमार

2– उक्त कार्मिक उ0प्र0 नियोजन शोध सेवा नियमावली 1982 (यथा संशोधित, 1994) में विहित व्यवस्थानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखें जायेगें। उपर्युक्त वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नत अधिकारियों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

10 फरवरी, 2023 ई0

सं0 153/35-1-2023-2/1(30)/2014 टी0सी0-1–राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद से शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पदोन्नति कोटे के रिक्त 10 पदों पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु किये गये चयन की संस्तुति पर मा0 आयोग के अनुमोदन के आधार पर श्री मोहन प्रजापति, अपर सांख्यिकीय अधिकारी को शोध अधिकारी (प्राविधिक) वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400/– के पद पर तात्कालिक प्रभाव से उनकी तैनाती के स्थान पर पदोन्नति प्रदान कर नियमित रूप से नियुक्त करते हुए उ0प्र0 नियोजन शोध सेवा नियमावली, 1982 (यथा संशोधित 1994) के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

पशुधन विभाग

अनुभाग–3

24 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 1368/सैंतीस-3-2022–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पशुपालन विभाग में प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं समकक्ष के पद पर सीधी भर्ती के कोटे के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के पद पर नियमित चयनित अभ्यर्थी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री ओमकार को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद के स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ घोषित किये जाने एवं संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि के उपरान्त श्री राज्यपाल, प्रक्षेत्र प्रबन्धक एवं समकक्ष (वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0-15,600-39,100/– ग्रेड वेतन रु0–5,400/–, सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के श्रेणी-2 के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करती हैं–

उक्त अभ्यर्थी प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं समकक्ष के पद पर योगदान की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगें–

1– अभ्यर्थी की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होंगी।

2– उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होगें।

3– उ0प्र0 अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4– अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

5– अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेगा। निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

6– तैनाती के जनपद तक जाने/पहुँचाने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7– उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)– दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2)– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4)– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5)– एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

8– उक्त अभ्यर्थी/अधिकारी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 1–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 24 फरवरी, 2024 ई० (फाल्गुन 05, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, उप परिवहन आयुक्त, बरेली, परिक्षेत्र, बरेली

26 मई, 2022 ई0

सं0 160/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/मुरादाबाद-63/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद मुरादाबाद में स्थापित इण्डिया मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, आशियाना फेस-II मुरादाबाद की अनुज्ञप्ति संख्या-71/बरेली/जोन/2017 दिनांक 05 मई, 2017 श्री मौ0 मुस्तकीम पुत्र श्री आबिद अली निवासी-ग्राम मिलक मऊ, पोस्ट काजीपुरा, जनपद मुरादाबाद के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 04 मई, 2022 तक वैध है।

दिनांक 01 मार्च, 2022 को प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुज्ञप्ति धारक श्री मौ0 मुस्तकीम की पत्नी श्रीमती नसरीन जहाँ निवासी-मिलक मऊ, पोस्ट काजीपुरा, जनपद मुरादाबाद द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके पति श्री मौ0 मुस्तकीम का दिनांक 04 मई, 2021 को कोरोना काल में आकस्मिक निधन हो गया है। उनके पति का निधन होने के कारण ट्रेनिंग कॉलेज में दर्ज वाहन UP21BH-2361 घर पर खड़ी रहती है और स्कूल बन्द पड़ा है। वह स्कूल चलाने में असमर्थ हैं जिस कारण वह ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति को निरस्त कराना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त जाँच कराये जाने के उपरान्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद द्वारा भी पत्र-संख्या-36/डी0टी0आई0/ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/2022 दिनांक 21 मई, 2022 के माध्यम से सन्दर्भित ट्रेनिंग स्कूल की मान्यता निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपर्युक्त प्रार्थना- पत्र एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद की संस्तुति के आधार पर विचारोपरान्त मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली इण्डिया मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, आशियाना फेस-II मुरादाबाद की अनुज्ञप्ति संख्या-71/बरेली/जोन/2017 दिनांक 05 मई, 2017, जिसकी वैधता दिनांक 04 मई, 2022 तक है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सं0 169 / मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल / मुरादाबाद-18 / परिक्षेत्र / 2022-23—जनपद मुरादाबाद में स्थापित प्रभात मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, MIG-9 रामगंगा विहार-II आस्था कालोनी कांठ रोड मुरादाबाद की अनुज्ञप्ति संख्या-26 / बरेली / जोन / 2008 दिनांक 22 अप्रैल, 2008 श्री प्रभात शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा निवासी-MIG-9 राम गंगा विहार-II आस्था कालोनी कांठ रोड मुरादाबाद के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 05 जनवरी, 2018 तक वैध थी।

स्कूल बन्द होने की प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रभात मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के संचालक श्री प्रभात शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा निवासी-MIG-9 राम गंगा विहार-II आस्था कालोनी कांठ रोड मुरादाबाद को इस कार्यालय द्वारा पत्र-संख्या-614 / सा0प्र0 / ट्रेनिंग.स्कूल / निरीक्षण दिनांक 11 जुलाई, 2017 पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करते हुए ट्रेनिंग स्कूल के संचालन की स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में निर्देशित किया गया और यह भी अवगत कराया गया कि यदि ट्रेनिंग स्कूल नहीं चलाना चाहते हैं तो अपनी आख्या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मुरादाबाद के माध्यम से इस कार्यालय में प्रेषित करायें। उसके उपरान्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मुरादाबाद की आख्या दिनांक 15 सितम्बर, 2017 इस कार्यालय में प्राप्त हुई, जिसमें ट्रेनिंग स्कूल बन्द होने की आख्या दी गयी। संचालक श्री प्रभात शर्मा द्वारा भी दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को लिखित रूप से यह अवगत कराया गया कि वह अपने ट्रेनिंग स्कूल को बन्द कराना चाहते हैं तथा पत्रावली बन्द कर दी जाए। इसके अतिरिक्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद द्वारा पत्र-संख्या-1870 / सा0प्र0 / मोटर.ट्रेनिंग.स्कूल / 2020 दिनांक 23 नवम्बर, 2020 एवं पत्र-संख्या-570 / मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल / मुरादाबाद / 2021-22 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के माध्यम से प्रभात मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मुरादाबाद के संचालित न होने एवं कार्यरत न होने की आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः सन्दर्भित ट्रेनिंग स्कूल के संचालक श्री प्रभात शर्मा द्वारा लिखित रूप से स्कूल बन्द किये जाने के अनुरोध तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद की आख्या के क्रम में मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली प्रभात मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, MIG-9 राम गंगा विहार-II आस्था कालोनी कांठ रोड मुरादाबाद की अनुज्ञप्ति संख्या-26 / बरेली / परि0 / 2008 दिनांक 22 अप्रैल, 2008, जिसकी वैधता दिनांक 05 जनवरी, 2018 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

27 मई, 2022 ई0

सं0 176 / मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल / मुरादाबाद-16 / परिक्षेत्र / 2022-23—जनपद मुरादाबाद में स्थापित साईं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, साईं सेवा समिति, डिप्टी गंज मालती नगर, मुरादाबाद को अनुज्ञप्ति संख्या-24 / बरेली / जोन / 2007 दिनांक 07 फरवरी, 2007 साईं सेवा समिति, डिप्टी गंज मालती नगर, मुरादाबाद के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 06 फरवरी, 2012 तक वैध थी।

स्कूल बन्द होने की प्राप्त जानकारी के आधार पर साईं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, साईं सेवा समिति, डिप्टी गंज मालती नगर, मुरादाबाद का निरीक्षण किये जाने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद को दिये गये, जिसके अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद द्वारा पत्र-संख्या-570 / मोटर / ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल / मुरादाबाद / 2021-22 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के माध्यम से साईं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मुरादाबाद के संचालित न होने एवं कार्यरत न होने की आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद की आख्या के क्रम में मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली साईं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, साईं सेवा समिति, डिप्टी गंज मालती नगर, मुरादाबाद की अनुज्ञप्ति संख्या-24 / बरेली / परि0 / 2007 दिनांक 07 फरवरी, 2007, जिसकी वैधता दिनांक 06 फरवरी, 2012 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सं0 181/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/मुरादाबाद-64/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद बरेली में स्थापित श्री राम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, शिवाजी नगर कुसुम नगर निकट ग्रीन पार्क बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या-72/बरेली/जोन/2017 दिनांक 15 मई, 2017 श्री श्रीराम शर्मा पुत्र श्री फकीर चन्द्र शर्मा निवासी-177 पवन विहार कालोनी बाईपास रोड बरेली के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 14 मई, 2022 तक वैध थी।

श्री राम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के संचालक श्री श्रीराम शर्मा पुत्र श्री फकीर चन्द्र शर्मा निवासी-177 पवन विहार कालोनी बाईपास रोड बरेली द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 को लिखित रूप से यह अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण अनुज्ञप्ति की वैधता से पूर्व आवेदन नहीं किया जा सका और वह अपने ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति को बन्द कराना चाहते हैं।

अतः सन्दर्भित ट्रेनिंग स्कूल के संचालक श्री श्रीराम शर्मा पुत्र श्री फकीर चन्द्र शर्मा निवासी-177 पवन विहार कालोनी बाईपास रोड बरेली द्वारा लिखित रूप से स्कूल बन्द किये जाने के अनुरोध के क्रम में मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली श्री राम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, शिवाजी नगर, कुसुम नगर निकट ग्रीन पार्क बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या- 72/बरेली/परि0/2017 दिनांक 15 मई, 2017, जिसकी वैधता दिनांक 14 मई, 2022 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

28 मई, 2022 ई0

सं0 186/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/शाहजहाँपुर-24/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद शाहजहाँपुर में स्थापित न्यू स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 110 जियाखेल शाहजहाँपुर को अनुज्ञप्ति संख्या-32/बरेली/जोन/2009 दिनांक 30 जुलाई, 2009 श्रीमती रूमाना रिजवी पत्नी श्री सैय्यद रिजवान हैदर निवासी-12/5 सिविल लाइन बरेली के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 27 जुलाई, 2014 तक वैध थी।

स्कूल बन्द होने की प्राप्त जानकारी के आधार पर न्यू स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 110 जियाखेल शाहजहाँपुर का निरीक्षण किये जाने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) शाहजहाँपुर को दिये गये, जिसके अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) शाहजहाँपुर द्वारा पत्र-संख्या-493/सा0प्र0/2022 दिनांक 28 मई, 2022 के माध्यम से न्यू स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 110 जियाखेल शाहजहाँपुर के संचालित न होने एवं पिछले दो वर्षों से बन्द होने की आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) शाहजहाँपुर की आख्या के क्रम में मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली, न्यू स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 110 जियाखेल शाहजहाँपुर की अनुज्ञप्ति संख्या-32/बरेली/जोन/2009 दिनांक 30 जुलाई, 2009, जिसकी वैधता दिनांक 27 जुलाई, 2014 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सं0 187/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-38/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद बरेली में स्थापित डॉ0 अम्बेडकर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, नेकपुर बदायूँ रोड बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या-46/बरेली/जोन/2013 दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 श्री पृथ्वीनाथ सिंह सोनकर पुत्र श्री गोपीनाथ सिंह सोनकर निवासी-नेकपुर बदायूँ रोड बरेली के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2018 तक वैध थी।

लम्बे समय तक नवीनीकरण न कराये जाने के कारण व स्कूल बन्द होने की प्राप्त जानकारी के आधार पर डॉ0 अम्बेडकर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के संचालक श्री पृथ्वीनाथ सिंह सोनकर पुत्र श्री गोपीनाथ सिंह सोनकर निवासी-नेकपुर बदायूँ रोड बरेली को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र-संख्या-688/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-38/परिक्षेत्र/2021-22 दिनांक 30 मार्च, 2022 पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करते हुए अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराने के संबंध में निर्देशित किया गया और यह भी निर्देशित किया गया कि यदि निर्धारित समयावधि में पत्र का उत्तर अथवा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का आवेदन नहीं करते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त पत्र का उत्तर प्राप्त न होने के कारण अधोहस्ताक्षरी

द्वारा पुनः पत्र-संख्या-37/मोटर/ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-38/परिक्षेत्र/2022-23 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 ट्रेनिंग स्कूल के संचालक को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया, परन्तु इस पत्र का उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ और न ही संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के संबंध में आवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त सन्दर्भित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण किये जाने के निर्देश सहायक, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली को दिये गये, जिसके अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली द्वारा पत्र-संख्या- 315/22-स्कूल निरीक्षण/2022 दिनांक 28 मई, 2022 के माध्यम से डॉ0 अम्बेडकर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, बरेली दिनांक 28 मई, 2022 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए ट्रेनिंग स्कूल के संचालित न होने की आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपर्युक्त नोटिस पत्र प्रेषित करने के उपरान्त संचालक का कोई उत्तर प्राप्त न होने व अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का आवेदन न करने के कारण तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली की प्राप्त आख्या के आधार पर मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली डॉ0 अम्बेडकर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, नेकपुर बदायूँ रोड बरेली की अनुजप्ति संख्या-46/बरेली/परि0/2013 दिनांक 29 अक्टूबर, 2013, जिसकी वैधता दिनांक 28 अक्टूबर, 2018 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सं0 188/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/रामपुर-30/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद रामपुर में स्थापित कमाल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, पनबड़िया बरेली रोड रामपुर उत्तर प्रदेश को अनुज्ञप्ति संख्या-32/बरेली/जोन/2011 दिनांक 18 नवम्बर, 2011 श्री अजीजउद्दीन अंसारी एवं श्रीमती नूर शमा निवासी-पनबड़िया बरेली रोड रामपुर के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 17 नवम्बर, 2016 तक वैध थी।

स्कूल बन्द होने की प्राप्त जानकारी के आधार पर कमाल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, पनबड़िया बरेली रोड रामपुर का निरीक्षण किये जाने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रामपुर को इस कार्यालय के पत्र-संख्या-178/सा0प्र0/मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल/परिक्षेत्र/2022-23 दिनांक 27 मई, 2022 के माध्यम से दिये गये, जिसके अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रामपुर द्वारा पत्र-संख्या-3762/सा0प्र0/मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल /2022 दिनांक 28 मई, 2022 के माध्यम से कमाल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, पनबड़िया बरेली रोड रामपुर के संचालित न होने एवं इस ट्रेनिंग स्कूल के पूर्ण रूप से बन्द होने की आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रामपुर की आख्या के क्रम में मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली, कमाल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, पनबड़िया बरेली रोड रामपुर की अनुज्ञप्ति संख्या-32/बरेली/जोन/2011 दिनांक 18 नवम्बर, 2011, जिसकी वैधता दिनांक 17 नवम्बर, 2016 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सं0 189/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/पीलीभीत-11/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद पीलीभीत में स्थापित शम्शी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मण्डी समिति गेस्ट हाउस के सामने बरेली रोड पीलीभीत को अनुज्ञप्ति संख्या-19/बरेली/जोन/2005 दिनांक 24 फरवरी, 2005 श्री बजीहउर रहमान शम्शी पुत्र स्वर्गीय श्री शकील उर रहमान शम्शी निवासी-मौहल्ला पंजाबीयान जिला पीलीभीत के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 23 फरवरी, 2010 तक वैध थी।

स्कूल बन्द होने की प्राप्त जानकारी के आधार पर शम्शी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मण्डी समिति गेस्ट हाउस के सामने बरेली रोड पीलीभीत का निरीक्षण किये जाने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) पील्लीभीत को दिये गये, जिसके अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) पीलीभीत द्वारा पत्र-संख्या-263/सा0प्र0/मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल-निरीक्षण/2022 दिनांक 28 मई, 2022 के माध्यम से शम्शी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मण्डी समिति गेस्ट-हाउस के सामने बरेली रोड पीलीभीत के संचालित न होने एवं अस्तित्व में न होने की आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) पीलीभीत की आख्या के क्रम में मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली, शम्शी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मण्डी समिति गेस्ट हाउस के सामने बरेली रोड पीलीभीत की अनुज्ञप्ति संख्या-19/बरेली/जोन/2005 दिनांक 24 फरवरी, 2005, जिसकी वैधता दिनांक 23 फरवरी, 2010 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सं0 190/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-50/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद बरेली में स्थापित विशाल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, ए-121 ट्रांसपोर्ट नगर बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या-58/बरेली/जोन/2015 दिनांक 30 अप्रैल, 2015 श्री मनोहर विशाल पुत्र श्री खुन्नी लाल निवासी-1035 मकरन्दपुर सरकार निकट नगर निगम बरेली के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तक वैध थी।

लम्बे समय तक नवीनीकरण न कराये जानें के कारण व स्कूल बन्द होने की प्राप्त जानकारी के आधार पर विशाल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के संचालक श्री मनोहर विशाल पुत्र श्री खुन्नी लाल निवासी-1035 मकरन्दपुर सरकार निकट नगर निगम बरेली को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र-संख्या-687/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-50/परिक्षेत्र/2021-22 दिनांक 30 मार्च, 2022 पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करते हुए अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराने के संबंध में निर्देशित किया गया और यह भी निर्देशित किया गया कि यदि निर्धारित समयावधि में पत्र का उत्तर अथवा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का आवेदन नहीं करते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंधं में कुछ नहीं कहना है, अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त पत्र का उत्तर प्राप्त न होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः पत्र-संख्या-38/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-50/परिक्षेत्र/2022-23 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 ट्रेनिंग स्कूल के संचालक को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया, परन्तु इस पत्र का उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ और न ही संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के संबंध में आवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त सन्दर्भित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण किये जाने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली को दिये गये, जिसके अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली द्वारा पत्र-संख्या-316/22-स्कूल निरीक्षण/2022 दिनांक 28 मई, 2022 के माध्यम से रूद्र मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, बरेली का दिनांक 28 मई, 2022 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए ट्रेनिंग स्कूल के संचालित न होने की आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपर्युक्त नोटिस पत्र प्रेषित करने के उपरान्त संचालक का कोई उत्तर प्राप्त न होने व अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का आवेदन न करने के कारण तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली की प्राप्त आख्या के आधार पर मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली विशाल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, ए-121 ट्रांसपोर्ट नगर बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या-58/बरेली/जोन/2015 दिनांक 30 अप्रैल, 2015, जिसकी वैधता दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सं0 192/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-48/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद बरेली में स्थापित रूद्र मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग, स्कूल, बीसलपुर रोड फरीदपुर बरेली की अनज्ञप्ति संख्या-56/बरेली/जोन/2014 दिनांक 14 जनवरी, 2015 श्री अजीत अग्रवाल पुत्र श्री विश्वनाथ अग्रवाल निवासी-कानून गोयान फरीदपुर, बरेली के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 13 जनवरी, 2020 तक वैध थी।

लम्बे समय तक नवीनीकरण न कराये जाने के कारण व स्कूल बन्द होने की प्राप्त जानकारी के आधार पर रूद्र मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के संचालक श्री अजीत अग्रवाल पुत्र श्री विश्वनाथ अग्रवाल निवासी-मौहल्ला कानून गोयान फरीदपुर बरेली को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र-संख्या-686/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-48/परिक्षेत्र /2021-22 दिनांक 30 मार्च, 2022 पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करते हुए अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराने के संबंध में निर्देशित किया गया और यह भी निर्देशित किया गया कि यदि निर्धारित समयावधि में पत्र का उत्तर अथवा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का आवेदन नहीं करते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त पत्र का उत्तर प्राप्त न होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः पत्र-संख्या-35/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-48/परिक्षेत्र /2022-23 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 ट्रेनिंग स्कूल

के संचालक को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया, परन्तु इस पत्र का उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ और न ही संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के संबंध में आवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त सन्दर्भित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण किये जाने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली को दिये गये, जिसके अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली द्वारा पत्र-संख्या-314/22–स्कूल निरीक्षण/2022 दिनांक 28 मई, 2022 के माध्यम से रूद्र मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, बरेली दिनांक 28 मई, 2022 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए ट्रेनिंग स्कूल के संचालित न होने की आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपर्युक्त नोटिस पत्र प्रेषित करने के उपरान्त संचालक का कोई उत्तर प्राप्त न होने व अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का आवेदन न करने के कारण तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली की प्राप्त आख्या के आधार पर मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली रूद्र मोटर ड्राइविंग, ट्रेनिंग स्कूल, बीसलपुर रोड फरीदपुर बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या-56/बरेली/जोन/2014 दिनांक 14 जनवरी, 2015, जिसकी वैधता दिनांक 13 जनवरी, 2020 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

30 मई, 2022 ई0

सं0 193/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/मुरादाबाद-05/परिक्षेत्र/2022-23–जनपद सम्भल पूर्व में जनपद मुरादाबाद में स्थापित चन्दौसी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मुंसिफ मार्ग, चन्दौसी मुरादाबाद वर्तमान में जिला सम्भल को अनुज्ञप्ति संख्या-13/बरेली/जोन/2002 दिनांक 04 जून, 2002 श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री पूरनमल, निवासी-सम्भल गेट चन्दौसी के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 तक वैध थी।

चन्दौसी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की लम्बे समय तक अनुज्ञप्ति नवीनीकरण न कराने व स्कूल बन्द होने की प्राप्त जानकारी के आधार पर चन्दौसी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मुंसिफ मार्ग चन्दौसी मुरादाबाद वर्तमान में जिला सम्भल का निरीक्षण किये जाने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सम्भल को इस कार्यालय के पत्र-संख्या-178/सा0प्र0/मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल/परिक्षेत्र/2022-23 दिनांक 27 मई, 2022 के माध्यम से दिये गये, जिसके अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सम्भल द्वारा अपनी आख्या दिनांक 28 मई, 2022 के माध्यम से चन्दौसी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मुंसिफ मार्ग चन्दौसी मुरादाबाद वर्तमान में जिला सम्भल के संचालित न होने, स्कूल में संचालित वाहन संचालित की स्थिति में नहीं होने एवं ट्रेनिंग स्कूल में उपयोगी उपकरण उपलब्ध न होने के संबंध में अवगत कराया गया है।

अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सम्भल की आख्या के क्रम में मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली, चन्दौसी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मुंसिफ मार्ग चन्दौसी मुरादाबाद वर्तमान में जिला सम्भल की अनुज्ञप्ति संख्या-13/बरेली/जोन/2002 दिनांक 04 जून, 2002, जिसकी वैधता दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

06 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 741/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-47/परिक्षेत्र/2022-23–जनपद बरेली में स्थापित न्यू इण्डिया मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 33 ए गुलमोहर पार्क राजेन्द्र नगर, बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या-55/बरेली/जोन/2014 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 श्रीमती नीता सक्सेना पुत्री स्व0 विद्यास्वरूप सक्सेना निवासी-488 सुभाष नगर बरेली के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2024 तक वैध है।

श्रीमती प्रियंका सक्सेना पत्नी श्री प्रखर सक्सेना, निवासी-33 ए गुलमोहर पार्क राजेन्द्र नगर बरेली द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2022 को इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनकी सास (माता जी) की दिनांक 21 जुलाई, 2022 को आकस्मिक मृत्यु हो गयी है, इसलिए वह उनके नाम से जारी न्यू इण्डिया मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति संख्या 55/बरेली/जोन/ 2014 को निरस्त कराना चाहती हैं तथा अपने नाम से नवीन अनुज्ञप्ति जारी कराना चाहती हैं। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के

पत्र-संख्या-711/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/परिक्षेत्र/2022-23 दिनांक 22 नवम्बर, 2022 के माध्यम से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बरेली से अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने के संबंध में आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुपालन में पत्र-संख्या-1497/मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल/2022-23 दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें स्व0 नीता सक्सेना के समस्त वारिसानों की शपथ-पत्र के माध्यम से अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने की प्राप्त सहमति के आधार पर न्यू इण्डिया मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्रीमती प्रियंका सक्सेना द्वारा अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने के संबंध में किये गये अनुरोध एवं इस संबंध में श्रीमती नीता सक्सेना के समस्त वारिसानों उपलब्ध कराये गये शपथ-पत्र तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली की प्राप्त आख्या के आधार पर मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली न्यू इण्डिया मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 33 ए गुलमोहर पार्क राजेन्द्र नगर बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या-55/बरेली/जोन/2014 दिनांक 23 सितम्बर, 2014, जिसकी वैधता दिनांक 22 दिसम्बर, 2024 तक है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सं0 742/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-73/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद बरेली में स्थापित न्यू सपना मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, कृष्णा नगर कालोनी, सतीपुर चौराहा पीलीभीत बाइपास रोड बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या-81/बरेली/जोन/2020 दिनांक 31 जनवरी, 2020 श्री रामवीर सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री सियाराम यादव निवासी- कृष्णा नगर कालोनी, सतीपुर चौराहा पीलीभीत बाइपास रोड बरेली के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 30 जनवरी, 2025 तक वैध है।

श्रीमती कल्पना यादव पत्नी स्व0 रामवीर सिंह यादव, निवासी-345 कृष्णा नगर कालोनी, पीलीभीत बाइपास रोड बरेली द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके पति श्री रामवीर सिंह यादव की दिनांक 25 अगस्त, 2022 को आकस्मिक मृत्यु हो गयी है, इसलिए वह उनके पति के नाम से जारी न्यू सपना मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति संख्या 81/बरेली/जोन/2020 को निरस्त कराना चाहती हैं तथा अपने नाम से दा न्यू सपना मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के नाम से नवीन अनुज्ञप्ति जारी कराना चाहती हैं। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र-संख्या-611/न्यू सपना. मोटर,ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/परिक्षेत्र/2022-23 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 के माध्यम से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बरेली से अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने के संबंध में आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुपालन में पत्र-संख्या-11952सा0प्र0/निरीक्षण आख्या/2022 दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के माध्यम से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें श्रीमती कल्पना यादव के अनुरोध पर न्यू सपना मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में श्रीमती कल्पना यादव ने अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने हेतु एक शपथ-पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2022 भी उपलब्ध कराया गया है।

अतः श्रीमती कल्पना यादव द्वारा अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने के संबंध में किये गये अनुरोध एवं इस संबंध में उपलब्ध कराये गये शपथ-पत्र तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली की प्राप्त आख्या के आधार पर मैं, मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली न्यू सपना मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, कृष्णा नगर कालोनी, सतीपुर चौराहा पीलीभीत बाइपास रोड बरेली की अनुज्ञप्ति संख्या-81/बरेली/जोन/2020 दिनांक 31 जनवरी, 2020, जिसकी वैधता दिनांक 30 जनवरी, 2025 तक है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

मुखलाल चौरसिया,
उप परिवहन आयुक्त,
बरेली परिक्षेत्र, बरेली।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

22 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 6002 / जी0-212 / 2023-24 / धारा-6(1)–रिट याचिका बी0 संख्या-648 / 2023 राम स्वरूप व 04 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 05 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 जुलाई, 2023 के समादर में प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश संख्या-8076 / वि0प्र0 / सा0 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 द्वारा ग्राम रहीमाबाद, परगना व तहसील सफीपुर, जनपद उन्नाव़ में उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली-1954 के नियम-17क व ख में उल्लिखित परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 व 19 जुलाई, 2023 निस्तारित कर दिया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सफीपुर, जनपद उन्नाव के ग्राम रहीमाबाद में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-706 / जी0-610 / 2012 दिनांक 06 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6003 / जी0-174-A / 2021-22 / धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कलीनगर, जनपद पीलीभीत के ग्राम बितौनिया खुर्द में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4680 / जी0-610 / 2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6004 / जी0-153 / 2023-24(4) / धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के ग्राम सैदपुर ई0 नगरिया मु0 में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3665 / जी0-610 / 2012 दिनांक 29 जुलाई, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6005 / जी0-354 / 2023-24(1) / धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद के ग्राम वलीपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4683 / जी0-610 / 2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6006 / जी0-354 / 2023-24 / धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद के ग्राम बिठौली में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4683/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6007/जी0-153/2023-24(3)/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के ग्राम मिर्जानपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3665/जी0-610/2012 दिनांक 29 जुलाई, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6008/जी0-163ए/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कोरांव, जनपद प्रयागराज के ग्राम रामपुर कलां में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3887/जी0-163ए/2002-06 दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6009/जी0-360/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के ग्राम भिड़ावली में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3881/जी0-360/60-06 दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6010/जी0-174-A/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कलीनगर, जनपद पीलीभीत के ग्राम प्रहलादपुर मु0 कलीनगर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4680/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6011/जी0-360/2023-24(1)/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के ग्राम पुरैनी इस्माइलपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3881/जी0-360/60-06 दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6012/जी0-174-A/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0

नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कलीनगर, जनपद पीलीभीत के ग्राम पंडरा मु0 कलीनगर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4680/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 6013/जी0-172/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना आंवला जनपद बरेली के ग्राम दलीपपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 6014/जी0-354/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व तहसील शिकोहाबाद वर्तमान तहसील सिरसागंज परगना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद के ग्राम असलैमपुर नगला कान्हर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

जी0एस0 नवीन कुमार,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—48 हिन्दी गजट—भाग 1 क—2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 24 फरवरी, 2024 ई० (फाल्गुन 05, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

कार्यालय, जिला पंचायत, पीलीभीत

08 जनवरी, 2023 ई0

विज्ञापन बोर्ड

सं0 213/तेइस-123(2022-23)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 के खण्ड (ग) सड़को की उप-धारा (1)ग, में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पीलीभीत अपने नियन्त्रणाधीन जिला पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार कार्य को विनियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से उपविधियॉ बनायी है, जिनकी पुष्टि आयुक्त, बरेली मण्डल,बरेली द्वारा कर दी गई है, इनका प्रकाशन अधिनियम की धारा-242(2) के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश राजकीय गज़ट में प्रकाशन के दिनाक से प्रभावी होंगी ।

उपविधि

1– यह उपविधि ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास तथा दीवार प्रचार कार्य को नियन्त्रित एवं विनियमन की उपविधियॉ कहलायेंगी। यह उपविधियॉ राजकीय गज़ट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

2– **परिभाषायें**–(क) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (1961,) यथा संशोधित 1994 की धारा-2 (10) में यथा परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है ।

(ख) "विज्ञापनपट्ट या यूनीपोल" का तात्पर्य ऐसी होर्डिंग से है, जो किसी लोहे के स्तम्भ के सहारे खड़ी की गयी हो या लगाई गई हो ।

(ग) "क्यास" का तात्पर्य ऐसे साइन बोर्ड से हैं, जो किसी बिजली के खम्भे, टेलीफोन के खम्भे अथवा दीवार या वृक्ष के सहारे लगाया गया हो।

(घ) "दीवार" प्रचार का तात्पर्य ऐसी विज्ञापन सामग्री से है, जो किसी दीवार पर पेंट, चूना, खड़िया, गेरू आदि से लिखित, चित्रित एवं चिन्हित किया गया हो।

(ङ) "अन्य प्रचार सामग्री" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है, जो किसी टीन के कपड़े से या फ्लैक्स बोर्ड़ पर लिखित, चित्रित एवं चिन्हित करके लगाया गया हो।

3— कोई भी व्यक्ति पीलीभीत-जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उपविधि की धारा-9 के अर्न्तगत निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करने, विधिवत् अनुमति प्राप्त करके ही विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास लगायेगा तथा दीवार प्रचार व अन्य प्रचार करेगा अन्यथा किसी भी दशा में नहीं।

4— इन उपविधियों के अर्न्तगत अपर मुख्य अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी भी लाइसेंस जारी कर सकते हैं।

5— लाइसेंस अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की सूचना मिलने पर 15 (पन्द्रह) दिन के अंदर अध्यक्ष जिला पंचायत पीलीभीत के समक्ष ही हो सकेगी और अध्यक्ष जिला पंचायत का आदेश मानना दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा।

6— केवल उन्ही विज्ञापन पट्ट/यूनीपोल,क्यास व दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री को प्रदर्शित, स्थापित एवं चित्रित करने की अनुमति दी जायेगी जो अश्लील न हों और किसी भी तरह समाज विरोधी न हों।

7— लाइसेंस/ठेका के इच्छुक व्यक्ति, संस्था, फर्म अथवा कम्पनी को विज्ञापन सामग्री का विवरण विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री की साइज व किस-किस स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करना है को भी इंगित करते हुए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंस अधिकारी स्वयं या अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से स्थल का निरीक्षण करा सकता है निरीक्षण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि उक्त विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास,दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री किसी ऐसे स्थान पर न हों जिससे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हों और वाहन चालकों की असुविधा के कारण दुर्घटना सम्भव न हों,तद्पोरान्त निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात लाइसेंस जारी करेगा ।

8— लाइसेंसिंग अधिकारी किसी ऐसे विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार या अन्य प्रचार सामग्री को हटवा सकता है जो इन उपविधियों के अर्न्तगत उपयुक्त न पाये गये हों। लाइसेंस अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि ऐसे विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री हटाने में जो व्यय आयेगा वह सम्बन्धित व्यक्ति,फर्म,संस्था,कम्पनी से राजस्व की भॉति वसूल कर सकता है।

9— विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री की शुल्क दरें प्रतिवर्ष निम्न प्रकार होगी।

जनपद पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली समस्त सड़कें नगरपालिका एवं टाउन एरिया की सीमा को छोड़कर	विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल की दरें	क्यास की दरें	दीवार प्रचार एवं अन्य प्रचार सामग्री की दरें।
	रुपया 100 प्रति वर्ग फुट	रुपया 100 प्रति वर्ग फुट	रुपया 300 प्रति वर्ग फुट

10— धारा-9 के अर्न्तगत निर्धारित दरों में परिवर्तन/परिवर्धन जिला पंचायत में विशेष प्रस्ताव से किया जा सकता है।

11— जिला पंचायत हित में लाइसेंस शुल्क वसूली का कार्य जनपदवार/तहसीलवार खुली निविदा आमंत्रित कर ठेके पर भी कराया जा सकता है। ठेके पद्धति के लिए ठेकेदारों के सम्बन्ध में जिला पंचायत अपने हित में शर्तो का निर्धारण कर सकती है।

12— केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये विज्ञापनपट्ट,क्यास,दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री इन उपविधियों के अर्न्तगत लाइसेंस मुक्त होंगी।

13— भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के किन्हीं अधिनियमों,नियमावलियों अथवा शासनादेश व विज्ञापनपट्ट,क्यास,दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्रियों के सम्बन्ध में जारी निर्देश यथावत् लागू माने जायेंगे।

14– भारत निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नियन्त्रण एवं निर्देश में सम्पन्न होने वाले चुनाव में सम्बन्धित प्रचार सामग्रियों एवं उपविधियों के अर्न्तगत लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त समझे जायेंगे। शर्त यह है कि उपरोक्त निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा दिशा निर्देश जारी न किये गये हों।

15– इन उपविधियों के अर्न्तगत लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी। आगामी 30 अप्रैल तक जैसे भी हों,उपविधि की धारा-9 में निर्धारित शुल्क जमा करके नवीनीकरण किया जा सकेगा, यदि लाइसेंसधारी द्वारा 30 अप्रैल तक अपना लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया तो प्रति तिमाही लाइसेंस शुल्क की 25 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देने पर ही नवीनीकरण किया जा सकेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लघंन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रुपया 1000.00 तक हो सकेगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि आगे अपराधी अपराध करता रहा है, रुपया 100.00 प्रतिदिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारागार से दण्डित किया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

नवीन उपविधि/उपनियम पशु-बाजार

सं0 214/तेइस-124(2022-23)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239(2)(ड.)के अर्न्तगत जनपद पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु-बाजार,पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से नवीन उपविधि/उपनियम बनाये गये है,जो आयुक्त बरेली मण्ड़ल, बरेली की स्वीकृति/राजकीय गजट में प्रकाशन उपरान्त प्रभावी होंगे।

उपविधियॉ

1– यह उपविधियॉ जिला पंचायत, पीलीभीत के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधियॉ कहलायेंगी।

2– **इन उपविधियों के अर्न्तगत–**

(1) ग्रामीण क्षेत्रों का तात्पर्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित 1994) में दी गई परिभाषा से है।

(2) पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है जहॉ जिला पंचायत, किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय-विक्रय हेतु पशु लाये जाते हों ।

3– पशुओं का तात्पर्य सभी भॉति एवं श्रेणी के पशुओं से है।

4– रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है। जो पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी में पशुओं के क्रय-विक्रय का पंजीयन करें। किसी पशु बाजार/पशु पैठ/पशु मेला में उसके संचालन अथवा प्रबंधन की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेंस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

5– दलाल का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत के लाइसेंस अधिकारी द्वारा पशु बाजारों/पशु मेलों/पशु पैठों में दलाली कार्य हेतु लाइसेंस दिया गया हों।

6– ठेकेदार का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत के किसी पशुबाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रर्दशनी हेतु ठेकों की शर्तो के अनुरूप नियत अवधि के लिए प्रबंध के निमित्त अवधि के लिए प्रबंध के निमित्त अधिकृत किया गया हों।

7– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत इन उपविधियों के अर्न्तगत लाइसेंस अधिकारी होगें।

8– नये पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी आयोजित करने से पूर्व जिलाधिकारी की अनुमति तथा शांति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या के उपरान्त ही जिला पंचायत के लाइसेंस अधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।

9– किसी पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु संचालक/प्रबंधक को प्रार्थना-पत्र के साथ स्थल का क्षेत्रफल चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शित करते हुए खसरा- खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उस पर विचार किया जायेगा ।

10– पशु बाजार/पशु पैठ/पशु मेला हेतु प्रस्तावित भूमि पर छायादार वृक्षों, पशुओं के खड़े होने, बैठने अथवा ठहरने के लिए आवश्यक स्थान व अन्य सुविधायें रोशनी हवा एवं पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखनी होगी।

11– लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। लाइसेंस का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक कराना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात रुपया 400.00 प्रतिमाह अथवा इसके किसी भाग पर विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाइसेंस का नवीनीकरण हो सकेगा।

12– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के प्रबंधों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। उप मुख्य चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा पशु बाजार/पशु पैठ/पशु मेला का निरीक्षण किया जा सकता है। जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना संचालक/प्रबंधक/ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा।

13– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी स्थल से 08 किलोमीटर के अंदर उसी दिवस हेतु किसी दूसरे पशु मेले, पशु बजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु सामान्यतः लाइसेंस नहीं दिया जायेगा ।

14– जिला पंचायत के अध्यक्ष को जिला पंचायत की स्वीकृति से जिला पंचायत के किसी पशु बाजार/पशु मेला/पशु पैठ को नियत अवधि के लिए ठेके पर देने का अधिकार होगा, परन्तु सामान्य परिस्थितियों में ठेका सार्वजनिक नीलाम के माध्यम से किया जायेगा।

15– जिला पंचायत द्वारा ठेके दिये जाने की स्थिति में अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भॉति की जा सकेगी।

16– कोई व्यक्ति पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी में किसी पशु का क्रय-विक्रय रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा उसकी बिक्री की रजिस्ट्री कराये बिना नहीं कर सकेगा तथा रजिस्ट्री सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात नहीं की जायेगी।

17– रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर करेगा।

18– रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत क्रेता एवं एक प्रतिशत विक्रेता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा जो किसी भी दशा में रुपया 100.00 से कम नहीं होगा। प्रतिबंध यह है कि जिला पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इन उवविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम करने का अधिकार होगा।

19– रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री का प्रमाण-पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम-183(2) के अर्न्तगत पुलिस फार्म 54 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा । एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

20– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालन अथवा प्रबंधक के लिए यह अनिवार्य होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम-183(2) के अर्न्तगत पुलिस फार्म 54 पुस्तके जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्राप्त करके पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा । यह शर्त ठेकेदार पर यथावत् लागू होगी।

21– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालन अथवा प्रबंधक अथवा ठेकेदार के लिए यह आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तो की सूचियां रजिस्ट्रेशन में बैठने के स्थान पर चिपकाया हो ।

22– कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु बाजार, पशु पैठ में संक्रामक रोग से पीड़ित पशुओं को नहीं लायेगा एतदर्थ नियुक्त जिला पंचायत के अधिकारी अथवा किसी पशु बाजार/पशु मेला/पशु पैठ के संचालक/प्रबंधक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रस्त किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

23– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के निम्नलिखत लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा–

(1) सप्ताह में एक बार लगने वाले छोटे पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क रुपया 10,000.00

(2) सप्ताह में दो बार या दो से अधिक बार छोटे पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क रुपया 15,000.00

(3) सप्ताह में एक बार लगने वाले बड़े पशु बाजार/पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क रुपया 15,000.00

(4) वर्ष में एक बार 15 दिन या उससे अधिक लगने वाले पशु मेले का लाइसेंस शुल्क रुपया 20,000.00

(5) सप्ताह में दो या दो से अधिक बार लगने वाले पशु मेले लाइसेंस शुल्क रुपया 25,000.00 ।

24– जिला पंचायत पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने हेतु दलाल को लाइसेंस दिया जायेगा। कोई व्यस्क एवं स्वस्थ्य मस्तिष्क का व्यक्ति ही दलाल का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा ।

25– रुपया पॉच हजार वार्षिक शुल्क अदा करने पर लाइसेंस अधिकारी द्वारा दलाल को लाइसेंस दिया जायेगा।

26– दलाल को प्रत्येक पशुओं की बिक्री पर निम्न कमीशन पाने का अधिकार होगा, उक्त कमीशन क्रेता तथा विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा–

(1) पशु एक हजार रुपये तक मूल्य पर रुपया 5.00 ।

(2) पशु के एक हजार रुपये से ऊपर तक मूल्य रुपया 15.00 ।

27– जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी स्वामित्व में लगने वाले पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के निकट सुविधाजनक स्थानों पर पशुओं के लदान व उतरने के लिए अड्डों की व्यवस्था संचालक/प्रबंधक अथवा ठेकेदार को करनी होगी।

28– निजी पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी। यदि वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो लाइसेंस अधिकारी द्वारा उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

29– संचालक/प्रबंधक/ठेकेदार की पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन बनाये गये पशुओं के परिवहन नियम 1978 पशुओं का पैदल परिवहन नियम 2001 एवं गोवंशीय पशुओं के विषय में बने गौवध निवारण अधिनियम, 1955 का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

30– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला की नवीन अनुज्ञप्ति देने से पूर्व उक्त नियमों को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित पशु बाजार/पशु पैठ/पशु मेला/पशु प्रदर्शनी में उक्त नियमों/उपविधियों का सम्यकरूप से अनुपालन कराया जायेगा, प्राप्त करने के उपरान्त ही नवीन लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा-240 में प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जिला पंचायत पीलीभीत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रुपया 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपया 50.00 तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

19 जनवरी, 2024 ई0

सं0 262-63/तेइस-26(2023-24)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा-239(2) (ड) के अर्न्तगत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कारखानों या फैक्ट्रियों आदि को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु संशोधित उपनियम बनाये है, जिसकी पुष्टि उक्त एक्ट की धारा-242(2) के अर्न्तगत आयुक्त बरेली मण्ड़ल, बरेली द्वारा की गई है, तथा जो राजकीय गज़ट में प्रकाशन की तिथि से लागू है, तथा जो विज्ञप्ति संख्या 1017-18/इक्कीस-69 (2002-03) दिनांक 05 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान में प्रभावी है, में निम्न संशोधन जो स्वीकृति/राजकीय गज़ट में प्रकाशन के उपरान्त पूर्व चालित दरों के स्थान पर प्रभावी होंगे–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
1	मिनी प्लान्ट 22 हॉर्स पावर तक	1,000	1,500
2	आटा चक्की 22 हॉर्स पावर तक	200	500
3	मसाला चक्की	200	500
4	रूई मशीन	200	500
5	पावर कोल्हू	400	1,000
6	स्पेलर	200	500
7	ट्रेक्टर द्वारा संचालित आटा चक्की	–	500
8	ट्रेक्टर द्वारा संचालित मिनी प्लांट	–	2,000
9	ट्रेक्टर द्वारा संचालित स्पेलर	–	500
10	खाण्ड मशीन	–	1,000
11	स्टोन क्रेशर/पत्थर कूटने की मशीन	–	20,000
12	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	–	5,000
13	शीशा बनाने का कारखाना	–	3,000
14	पुराने एवं नये कपड़ों की कतरन से रूई बनाने का कारखाना प्रत्येक मशीन	–	500
15	कीटनाशक जैविक कारखाना	–	5,000
16	चमड़ा टेनरी का कारखाना	–	25,000
17	रेशम कपड़ा बनाने का कारखाना	–	4,000
18	सरिया बनाने का कारखाना	–	15,000
19	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्टी)	–	10,000
20	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)	–	10,000
21	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (10 टन से ऊपर 20 टन की क्षमता तक)	–	15,000
22	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (20 टन से ऊपर 30 टन की क्षमता तक	–	30,000
23	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (30 टन से अधिक)	–	50,000
24	मुर्गी/मुर्गा दाना का कारखाना	–	3,000

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
25	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	—	10,000
26	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	—	15,000
27	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	—	20,000
28	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	—	15,000
29	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना	—	10,000
30	पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना	—	5,000
31	पेपर रोल बनाने का कारखाना	—	8,000
32	पेपर कोन बनाने का कारखाना	—	4,000
33	दूध का पाउडर अथवा दूध से अन्य सामान बनाने का कारखाना	—	20,000
34	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई तक)	—	25,000
35	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई से अधिक)	—	50,000
36	मशीन के पुर्जे की कांटे एवं नट बोल्ट का कारखाना	—	7,000
37	फल, सब्जी, गुड़ व खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड-स्टोर)	—	10,000
38	पत्थर तथा ईट की रोड़ी एवं सुर्खी बनाने का कारखाना	—	5,000
39	चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना	—	7,000
40	रबड़ की वस्तु बनाने का कारखाना	—	5,000
41	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशे, तांबे, टीन की वस्तुएं बनाने का कारखाना	—	10,000
42	तेल/घी बनाने का कारखाना	—	30,000
43	कृशि सम्बन्धित यंत्र बनाने का कारखाना	—	5,000
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	—	5,000
45	फर्टिलाइजर कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	—	10,000
46	खाण्ड एवं गुड़ के यंत्रों का कारखाना	—	5,000
47	कोयले की राख से वाई प्रोडक्ट या टिकली बनाने का कारखाना	—	1,500
48	बिजली का सामान बनाने का कारखाना	—	5,000
49	कपड़ा, कम्बल, बोरा, कट्टा आदि की रंगाई, फिनिशिंग एवं कपड़ा, कम्बल बनाने का कारखाना	—	10,000
50	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	—	5,000
51	हाट मिक्स प्लांट	—	50,000
52	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट मशीन	—	3,000
53	गंधक, फिटकरी या कलमी शोरा बनाने का कारखाना	—	2,000
54	सीमेण्ट बनाने का कारखाना	—	25,000

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
55	टेलीविजन बनाने का कारखाना	—	10,000
56	माचिस बनाने का कारखाना	—	5,000
57	बटन बनाने का कारखाना	—	6,000
58	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	—	3,000
59	प्लाइवुड एवं माइका बनाने का कारखाना	—	10,000
60	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना	—	50,000
61	दवाई बनाने का कारखाना	—	15,000
62	बेल्डिंग राड बनाने का कारखाना	—	6,000
63	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	—	6,000
64	ढलाई का कारखाना कोयले द्वारा	—	5,000
65	स्टील अलमारी, बक्से, फर्नीचर बनाने का कारखाना	—	6,000
66	पशु आहार बनाने का कारखाना	—	5,000
67	चमड़े के सामान बनाने का कारखाना	—	4,000
68	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	—	7,000
69	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	—	15,000
70	साकिट बनाने का कारखाना	—	5,000
71	लेमिनेशन का कारखाना	—	5,000
72	केमिकल बनाने का कारखाना	—	8,000
73	धागा बनाने का कारखाना	—	5,000
74	धागा डबलिंग का कारखाना	—	7,000
75	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	—	2,000
76	निकिल पालिस (निकिल-प्लांट)	—	5,000
77	रांगा बनाने का कारखाना	—	5,000
78	चिलिंग प्लांट/दूध एकत्रित करना,आपूर्ति करना	—	8,000
79	पनीर बनाने का लघु उद्योग	—	2,000
80	दूध पैकेजिंग का कारखाना	—	6,000
81	टीन का समान बनाने का कारखाना	—	5,000
82	गम टेप बनाने का कारखाना	—	4,000
83	रबड़ टायर,ट्यूब बनाने का कारखाना	—	15,000
84	टायर रिट्रेडिंग	—	5,000
85	कांच के सामान बनाने का कारखाना	—	1,500
86	आटोमोटर्स बनाने का कारखाना	—	5,000
87	गैस बाटलिंग प्लांट	—	25,000
88	तार बनाने का कारखाना	—	15,000
89	चार पहिया वाहन बनाने का कारखाना	—	1,00,000

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
90	तार की जाली बनाने का कारखाना	–	5,000
91	कुटीर उद्योग (25 लाख तक की लागत वाला)	–	5,000
92	लालटेन बनाने का कारखाना	–	3,000
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	–	5,000
94	लघु उद्योग (25 लाख से अधिक 5 करोड तक)	–	20,000
95	बैट्री बनाने का कारखाना	–	5,000
96	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	–	5,000
97	दो पहिया वाहन बनाने का कारखाना	–	50,000
98	रेड़ीमेड़ (गारमेन्ट उद्योग)	–	15,000
99	रंग बनाने का कारखाना	–	5,000
100	पट्टा बनाने का कारखाना	–	5,000
101	कमानी बनाने का कारखाना	–	10,000
102	तिरपाल बनाने का कारखाना	–	10,000
103	आतिशबाजी संबंधी सामान बनाने का कारखाना	–	10,000
104	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	–	5,000
105	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	–	3,000
106	गैस भरने का कारखाना	–	5,000
107	गैस सिलेन्डर बनाने का कारखाना	–	10,000
108	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	–	5,000
109	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक)	–	50,000
110	भारी उद्योग (10 करोड़ से अधिक)	–	1,00,000
111	आक्सीजन प्लांट	–	10,000
112	अचार, जैम, सिरका, सोया, चिप्स बनाने का कारखाना	–	10,000
113	विद्युत उत्पादन प्लांट	–	50,000

टिप्पणी– इन उपविधियों के अर्न्तगत निर्धारित शुल्क इस प्रकार होगा यह शुल्क वर्ष में एक बार देय होगा, जिसकी अवधि 01 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक की होगी। इसे स्वयं व्यवसायी को जिला पंचायत कार्यालय में अथवा जिला पंचायत द्वारा अधिकृत वसूली कर्मचारी के पास जमा करना होगा। यह शुल्क प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को देय होगा जो 30 जून तक जमा करने पर विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा 30 जून के पश्चात् जमा करने पर निर्धारित शुल्क पर 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क सहित जमा करना होगा विलम्ब शुल्क की गणना माह अप्रैल से की जायेगी।

सं0 264-65/तेइस-29(2023-24)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा-239(2)(ड) के अर्न्तगत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पीलीभीत ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वस्तु, खाद्य पदार्थ, मशीनरी आदि की दुकानों को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु संशोधित उप नियम बनाये है, जिनकी पुष्टि एक्ट की धारा-242(2) के अर्न्तगत आयुक्त बरेली मण्ड़ल बरेली ने की है जो राजकीय गज़ट में प्रकाशन की तिथि से लागू है तथा जो विज्ञप्ति संख्या-2184-2185(3)-21-7(87-88) दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं विज्ञप्ति संख्या-663-664/इक्कीस-42 (04-05 दिनांक 30 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान में प्रभावी है, में निम्न संशोधन जो स्वीकृति/राजकीय गज़ट में प्रकाशन के उपरान्त पूर्व चालित दरों के स्थान पर प्रभावी होगें–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
1	केवल परचून या कपड़े की दुकान	150	500
2	गल्ले की दुकान या व्यापारी जिसके पास 20 कुन्तल तक हो	150	500
3	गल्ले की दुकान या व्यापारी जिसके पास 20 कुन्तल से अधिक हो	500	1,000
4	सोना चांदी के आभूषण बनाने तथा बिक्री वाली दुकान	1,000	2,000
5	आभूषण मरम्मत करने वाले पर	100	500
6	फड़ वाले या तुलाई करने वालो पर	50	200
7	मेड़िकल स्टोर या दवाई की दुकान पर	150	1,000
8	केवल हलवाई की दुकान	150	500
9	पुस्तक या कापी की दुकान	75	500
10	लोहे एल्युमिनियम के बर्तन, औजार आदि की दुकानें	150	1,000
11	लोहे के सामान सरिया, एंगिल आदि की दुकान पर	300	1,500
12	शरबत लस्सी या सोड़ा वाटर की दुकान पर	75	500
13	आरा मशीन एवं लकड़ी की टाल पर	1,000	2,000
14	ईधन जलाने हेतु लकड़ी की दुकान पर	75	500
15	लकड़ी की टाल पर	150	1,000
16	कोयला जलाने वाली ईधन की दुकान	75	500
17	अन्य व्यवसाय की दुकान जिसमें 50 हजार रुपये से कम का सामान हों	–	500
18	अन्य व्यवसाय की दुकान जिसमें 50 हजार से 1 लाख तक का सामान हो	–	1,000
19	अन्य व्यवसाय की दुकान जिसमें 1 लाख से 3 लाख तक का सामान हो	–	2,000
20	अन्य व्यवसाय की दुकान जिसमें 3 लाख से 5 लाख तक का सामान हो	–	4,000
21	ग्रामीण क्षेत्रों के मेलों में जो व्यक्ति कोई व्यवसाय करेगा और जिसके पास पूर्व से जिला पंचायत का लाइसेंस न हों।	150	1,000
22	कपड़ा धोने वाली दुकान(ड्राईक्लीन/मशीन द्वारा)	150	500
23	लाटरी टिकट बेचने वाली दुकान पर	150	–

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
24	कृषि सम्बन्धी मशीनरी मोटर/यंत्रों/पाट्र्स की दुकान	300	1,000
25	साइकिल मरम्मत की दुकान	75	200
26	नई साइकिल की दुकान	225	1,000
27	पेट्रोल पम्प एवं डीजल पम्प	1,500	5,000
28	सी.एन.जी. पम्प पर	—	2,500
29	पेट्रोल डीजल की दुकान पर	225	1,000
30	जूते की दुकान पर	75	500
31	रासायनिक खाद की दुकान पर	225	1,000
32	नलकूप, बोरिंग, हैण्ड पम्प की दुकान	150	1,000
33	प्रोविजन स्टोर/जनरल स्टोर	150	500
34	हकीम, वैद्य, डाक्टर की दुकान पर	150	1,000
35	मिट्टी चिकनाई टायर, ट्यूब,मोटर साइकिल, स्कूटर पार्टस की दुकान	150	500
36	मोटर साइकिल, डनलप पहियों आदि की मरम्मत की दुकान	75	500
37	फल अथवा सब्जी की दुकान पर	75	500
38	फोटो ग्राफी, तस्वीर बेचने की दुकान पर	75	500
39	शक्कर की दुकान पर	75	500
40	आतिशबाजी की दुकान पर	75	1,000
41	देशी शराब/अग्रेजी शराब/बीयर की दुकान	3,000	5,000
42	भांग की दुकान पर	150	500
43	साबुन बनाने के कारखाने पर	300	1,000
44	बर्फ या आइसक्रीम के कारखाने पर	750	3,000
45	गैस या इलैक्ट्रानिक बैल्डिंग की दुकान पर	75	500
46	बिजली के सामान की दुकान पर	100	500
47	बिजली मोटर आदि की मरम्मत की दुकान पर	75	300
48	फर्नीचर इमारती लकड़ी/फर्नीचर बनाने की दुकान पर	150	1,000
49	लोहार की दुकान	50	500
50	चूड़ी की दुकान पर	50	200
51	टेलीविजन, रेडियो, लाउडस्पीकर की दुकान	150	500
52	बैलगाड़ी डनलप की दुकान	200	—

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
53	होटल ढाबा	300	2,000
54	रेस्टोरेन्ट होटल	—	15,000
55	दूध एवं घी की दुकान	150	500
56	किसी प्रकार का ऐजेण्ट /आढ़तिया/प्रापर्टी डीलर	400	5,000
57	प्लास्टिक के सामान उत्पादक कारखानों पर	1,500	5,000
58	खराद मशीन आदि की दुकान	300	1,000
59	घड़ी रेडियों आदि की दुकान	50	200
60	ट्रैक्टर ट्राली, रबड के पहियों की दुकान	300	1,000
61	बॉस-बल्ली की दुकान	200	500
62	बारबर (नाई) सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान	—	500
63	बिल्डिग मैटेरियल बालू, मोरंग, पटरा बल्ली आदि	—	1,000
64	सीमेण्ट की दुकान पर	—	2,000
65	टेन्ट की दुकान पर	—	1,000
66	तम्बाकू /किमाम उद्योग	—	7,000
67	कबाड़ की दुकान पर	—	500
68	प्लास्टिक सामान की दुकान, फर्नीचर आदि	—	1,000
69	चार पहिया वाहन ट्रक, ट्रेक्टर, जीप आदि के वर्कशाप	225	2,000
70	भण्डार गोदाम	—	10,000
71	गैस सिलेण्डर की बिक्री, मरम्मत एवं गैस भराई आदि की दुकान	750	—
72	एजेन्सी चार पहिया वाहन	—	10,000
73	एजेन्सी छः पहिया वाहन	—	20,000
74	आयातक / निर्यातक कं0	—	25,000
75	नवीन मोबाइल की दुकान / मरम्मत की दुकान	—	1,000
76	रंग पेन्ट की दुकान	—	1,000
77	उपरोक्त के अतिरिक्त दुकान स्टोर आदि	—	5,000

सं0 266-67/तेइस-124(2023-24)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239 (2) (इ) के अर्न्तगत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मधुमक्खी पालन, मुर्गी एवं कुक्कुट पालन, बीड़ी फैक्ट्री, मैथा प्लान्ट/फैक्ट्री, मोटर साइकिल ट्रैक्टर ऐजेन्सी आदि को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु संशोधित उप नियम बनाये है, जिसकी पुष्टि उक्त एक्ट की धारा-242 (2) के अर्न्तगत आयुक्त बरेली मण्ड़ल, बरेली द्वारा की गई है, जो राजकीय गज़ट में प्रकाशन की तिथि से लागू है, जो विज्ञप्ति संख्या 1051-1052/इक्कीस-20 (2011-12) दिनांक 01.05.2012 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान में प्रभावी है, में निम्न संशोधन जो स्वीकृति/राजकीय गज़ट में प्रकाशन उपरान्त पूर्व चालित दरों के स्थान पर प्रभावी होगीं–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	मधुमक्खी पालन	1,000	2,000
2	मुर्गी एवं कुक्कुट पालन	1,000	2,000
3	बीड़ी फैक्ट्री	2,000	5,000
4	नमकीन फैक्ट्री/बेकरी	1,000	2,000
5	मैथा प्लान्ट/ फैक्ट्री	1,000 (एक टैंक)	2,000 (एक टैंक)
		2,000 (दो टैंक)	4,000 (दो टैंक)
6	सीमेण्ट कंकरीट पाइप फैक्ट्री	5,000	10,000
7	अस्पताल/नर्सिंगहोम	5,000	10,000
8	मोटर साइकिल/ ट्रैक्टर ऐजेन्सी	3,000	5,000
9	ई-रिक्शा एजेन्सी	–	3,000
10	मत्सय आखेट	1,000	2,000
11	मोबाइल टावर	5,000	–
12	होर्डिंग/बोर्डिग द्वारा विज्ञापन	500 (एक अद्द बड़ा)	–
		100 (एक अद्द छोटा)	–
13	शापिंग मॉल/हरियाली/सुपर मार्केट	10,000	25,000
14	बारातघर/मैरिज हाल/रिसोर्ट	10,000	15,000
15	जनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति के व्यवसाय पर	5,000	6,000
16	दुग्ध डेरी (पॉच भैंस/गाय से ऊपर)	1,000	2,000
17	धर्मकांटा	2,000	4,000
18	पेपर ब्लाक इण्डस्ट्रीज (सीमेण्ट ईट)	5,000	10,000
19	सीड प्लांट (बीज विधायन संयंत्र)	5,000	10,000

सं0 268-69/तेइस-27(2023.24)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239 (2) (इ) के अर्न्तगत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईट भट्टा, राइस मिल, चीनी मिल, क्रेशर सल्फरप्लान्ट एवं गैस ऐजेन्सी आदि को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु संशोधित उप नियम बनाये है, जिसकी पुष्टि उक्त एक्ट की धारा-242 (2) के अर्न्तगत आयुक्त, बरेली मण्ड़ल बरेली, ने की है, जो राजकीय गज़ट में प्रकाशन की तिथि से लागू है, जो विज्ञप्ति संख्या 1017-18/इक्कीस-69 (2002-03) दिनांक 05 मई, 2003 विज्ञप्ति संख्या 2280-81/21-41 (90-91) दिनांक 10 सितम्बर, 1991 एवं विज्ञप्ति संख्या 1330-31/21-85 (95-96) दिनांक 19 जून, 1999 एवं विज्ञप्ति संख्या 914-15/इक्कीस-14 (2008-09) दिनांक 14 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान में प्रभावी है, में निम्न संशोधन जो स्वीकृति/राजकीय गज़ट में प्रकाशन उपरान्त पूर्व चालित दरों के स्थान पर प्रभावी होगी–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	ईट भट्टा	10,000	15,000
2	राइस मिल 1 टन	5,000	–
	राइस मिल 2 टन	10,000	–
	राइस मिल 3 टन	15,000	–
	राइस मिल	–	20,000
3	चीनी मिल, शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000	1,00,000
4	क्रेशर सल्फर प्लान्ट, शक्कर कारखाना जहां क्रेशर से गन्ने का रस निकालकर खांड या शक्कर बनाई जाती है।	10,000	20,000
5	गैस एजेन्सी	5,000	10,000
6	फ्लोर मिल/गल्ला मिल/दाल मिल/आयल मिल आदि	20,000	30,000

(ह0) अस्पष्ट,
आयुक्त,
बरेली मण्ड़ल,
बरेली।

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 3–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 24 फरवरी, 2024 ई० (फाल्गुन 05, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(भूमि अर्जन अनुभाग)

अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1966)

की धारा-28 के अधीन

नोटिस

06 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1349/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (भूमि अर्जन अनुभाग) द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–28 के अधीन नोटिस के माध्यम से वाराणसी नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु **''वैदिक सिटी सारनाथ भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, वाराणसी''** अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं:–

उत्तर–खसरा संख्या–543, 652, 710 ग्राम–सथवा, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी।

पूरब–खसरा संख्या–731, 733 ग्राम–सथवा, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–119, 138, 137, 144, 165, 167, 181 ग्राम–पतेरवा, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–1,2,3 व 4 ग्राम–मुगदरपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी।

दक्षिण–रिंग रोड जनपद–वाराणसी (30 भाग, 76 भाग, 75 भाग, 74 भाग, 73 भाग, 72 भाग, 71 भाग, 69 भाग, 66 भाग, 65 भाग, 62 भाग, 63 भाग, 200 भाग, 199 भाग, 198 भाग, 203 भाग, 212 भाग, 214 भाग, 222, 213 भाग, 216 भाग, 217 भाग ग्राम–सिंहपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–240 भाग, 246 भाग, 247 भाग, 248 भाग, 249 भाग, 225 भाग, 229 भाग, 224 भाग ग्राम–हसनपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–241 भाग, 240 भाग, 242 भाग, 243 भाग, 244 भाग, 246 भाग, 245 भाग, 294 भाग, 290 भाग, 291 भाग, 288 भाग, 287 भाग, 286 भाग, 284 भाग, 282 भाग, 260 भाग, 261 भाग, 263 भाग, 264 भाग, 266 भाग, 267 भाग, 268 भाग, 269 भाग, 271 भाग ग्राम–सिंहपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी।)

पश्चिम–खसरा संख्या–224, 206, 205, 204, 202, 196, 194, 193, 192 ग्राम–गोइठहा, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी, खसरा संख्या–270 ग्राम–सिंहपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–178, 179, 180 ग्राम–हृदयपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–262 ग्राम–सिंहपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–242, 241 ग्राम–हृदयपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–105, 524, 523, 522 ग्राम–सथवा, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11:00 से अपराहन 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम–1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अुनभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

रणवीर प्रसाद,
आवास आयुक्त।

NOTICE

Notice under section 28 of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Act, 1965 (Uttar Pradesh Act No. 1, 1966) [Land Aqusition Section]

Date : 06 *February*, 2024

No. 1349/L.A.C./H.Q.–Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad (Land Acquisition Section) through a notice under Section 28 of the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Act, 1965, to solve the increasing housing problem of Varanasi City, "Vedic City Sarnath Bhoomi Vikas, Grihsthan Evam Bazar Yojana, Varanasi" has been notified. The limits of the area covered in the scheme are as follows :-

North–Khasra Number 543, 652, 710 Village-Sathwa, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

East–Khasra Number 731, 733 Village-Sathwa, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 119, 138, 137, 144, 165, 167, 181 Village-Paterwa, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 1, 2, 3 & 4 Village-Mugadarpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District Varanasi.

South–Ring Road District Varanasi (30 part, 76 part, 75 part, 74 part, 73 part, 72 part, 71 part, 69 part, 66 part, 65 part, 62 part, 63 part, 200 part, 199 part, 198 part, 203 part, 212 part, 214 part, 222, 213 part, 216 part, 217 part Village-Singhpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra Number 240 Part, 246 Part, 247 Part, 248 Part, 249 Part, 225 Part, 229 Part, 224 Part, Village-Hasanpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 241 Part, 240 Part, 242 Part, 243 Part, 244 Part, 246 Part, 245 Part, 294 Part, 290 Part, 291 Part, 288 Part, 287 Part, 286 Part, 284 Part, 282 Part, 260 Part, 261 Part, 263 Part, 264 Part, 266 part, 267 part, 268 part, 269 part, 271 part Village-Singhpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.)

West–Khasra Number 224, 206, 205, 204, 202, 196, 194, 193, 192 Village-Goithaha, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District Varanasi. Khasra Number 270 Village-Singhpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 178, 179, 180 Village-Hridaypur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District Varanasi. Khasra Number 262 Village-Singhpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District Varanasi. Khasra No. 242, 241 Village-Hridpur, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Khasra No. 105, 524, 523, 522 Village-Sathwa, Pargana-Shivpur, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

The details of the Land, falling under the scheme and maps can be seen in the Office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or Office of the Executive Engineer, Construction Division-Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land Owner will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or at the Office of the Executive Engineer, Construction Division-Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no objections shall be considered. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the Land/Building/Villages Name/Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

RANVIR PRASAD,
Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(भूमि अर्जन अनुभाग)

अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1966)

की धारा-28 के अधीन

नोटिस

15 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1381/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-01 मोहनलालगंज, लखनऊ" बनाई है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाऐं निम्न प्रकार है–

उत्तर–लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी रेलवे लाईन पर खसरा संख्या 3094 ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या 85 ग्राम पहाड़नगर टिकरिया, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या 477 व 476, ग्राम मोअज्जमनगर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या-315, 314/529, 296/528, ग्राम कबीरपुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या-847, 845 भाग, 856, ग्राम कासिमपुर बिरूहा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या-493 व 523, ग्राम चाँद सराय, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ एवं खसरा संख्या-326, ग्राम मगहुआँ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

पूरब—खसरा संख्या-325 भाग, 295 भाग, 298 भाग, 297 भाग, 299 भाग, 300 भाग, 320 भाग, 302 भाग, 292 भाग 303 भाग, 307 भाग, 306 भाग, 304 भाग, 289 भाग, 395 भाग, 396 भाग, 397 भाग, 408 भाग, 409 भाग, 410 भाग, 414 भाग, 416 भाग, 415 भाग, 509 भाग, 511 भाग, 512 भाग, 522 भाग, 521, 520 भाग, 527 भाग, 529 भाग, 534 भाग, 533 भाग, 537, 578 भाग, 581 भाग, 582 भाग, 583 भाग, 584 भाग, 585 भाग, 586 भाग, 587 भाग, 588 भाग, 589 भाग, 590 भाग, 591 भाग, 602 भाग, 608 भाग व 609 भाग ग्राम मगहुआँ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या 544 भाग, 546 भाग, 562 भाग, 563 भाग, 561 भाग ,560 भाग, 569 भाग, 570 भाग, 581 भाग, 582 भाग, 651 भाग, 679 भाग, 680 भाग, 681 भाग, 682 भाग, 690 भाग, 692 भाग व 766, ग्राम-बेली, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ एवं खसरा संख्या 94, ग्राम हबुवापुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ एवं गोसाईगंज-मोहनलालगंज मुख्य मार्ग।

दक्षिण—मुख्य शारदानहर (इन्दिरा कैनाल) खसरा संख्या-46 ग्राम-हबुवापुर परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ व खसरा संख्या 488 व 186 ग्राम सिद्धपुरा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ एवं 379 भाग ग्राम भटवारा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

पश्चिम—मुख्य शारदा नहर (इन्दिरा कैनाल) व खसरा संख्या 379 भाग, ग्राम भटवारा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ एवं खसरा संख्या 280 भाग, 282 भाग, 283 भाग, 275 भाग, 260 भाग, 258 भाग, 257 भाग, 256 भाग, 255 भाग, 254 भाग, 251 भाग, 202 भाग, 200 भाग, 133 भाग, 135 भाग, 136 भाग, 143 भाग, 139 भाग, 98 भाग, 81 भाग, 97 भाग, 82 भाग, 80, 83 भाग व 84 भाग ग्राम पहाड़नगर टिकरिया, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-09, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक देखे जा सकते है।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों व योजना की सीमा के 500.00 मीटर के अन्तर्गत आने वाली भूमि/निर्माण के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-9, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, सेक्टर-09, वृन्दावन योजना लखनऊ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रुप से अंकित होने चाहिए।

रणवीर प्रसाद,
आवास आयुक्त।

NOTICE

(Notice under section 28 of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Act, 1965 (Uttar Pradesh Act No. 1, 1966)

[Land Aqusition Section]

15 *February*, 2024

No. 1381/L.A.C./H.Q.–U.P. Awas Evam Vikas Parishad Framed a housing scheme "Bhoomi Vikas Evam Grah-Asthan Yojana No. 01 Mohanlalganj, Lucknow" to solve the increasing housing problem of Lucknow city. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:-

North-On Lucknow-Sultanpur-Varanasi railway line, Khasra No-3094 village-Bakkas, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No-85 village Paharnagar Tikariya, Pargana & Tehsil-Mohanlal Ganj, Lucknow and Khasra No-477 and 476, village Moazzamnagar, Pargana. & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No.-315, 314/529, 296/528, Village Kabirpur, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No.-847, 845 Part, 856, Village Kasimpur Biruha, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No.-493 and 523, Village Chand Sarai, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No.-326, Village Maghuaan, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.

East-Khasra Number-325 Part, 295 Part, 298 Part, 297 Part, 299 Part, 300 Part, 320 Part, 302 Part, 292 Part, 303 Part, 307 Part, 306 Part, 304 Part, 289 Part, 395 Part, 396 Part, 397 Part, 408 Part, 409 Part, 410 Part, 414 Part, 416 Part, 415 Part, 509 Part, 511 Part, 512 Part, 522 Part, 521, 520 Part, 527 Part, 529 Part, 533 Part, 534 Part, 537, 578 Part, 581 Part, 582 Part, 583 Part, 584 Part, 585 Part, 586 Part, 587 Part, 588 Part, 589 Part, 590 Part, 591 Part, 602 Part, 608 Part, & 609 Part of village Magahuan, Pargana and Tehsil -Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No. 544 Part, 546 Part, 562 Part, 563 Part, 561 Part, 560 Part, 569 Part, 570 Part, 581 Part, 582 Part, 651 Part, 679 Part, 680 Part, 681 Part, 682 Part, 690 Part, 692 Part & 766 Village Bailey, Pargana and Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No. 94, Village Habuvapur, Pargana and Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Gosaiganj-Mohanlalganj main road.

South: Main Shardanahar (Indira Canal) Khasra No. 46 village - Habuvapur Pargana & Tehsil - Mohanlalganj, Lucknow and Khasra number 488 and 186 village Siddhpura, Pargana & Tehsil - Mohanlalganj, Lucknow and 379 Part village Bhatwara, Pargana & Tehsil - Mohanlalganj, Lucknow.

West: Main Shardanahar (Indira Canal) and Khasra Number 379 Part Village Bhatwara, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow and Khasra No. 280 part, 282 part, 283 part, 275 part, 260 part, 258 part, 257 part, 256 part, 255 part, 254 part, 251 part, 202 part, 200 part, 133 part, 135 part, 136 part, 143 part, 139 part, 98 part, 81 part, 97 part, 82 part, 80, 83 part and 84 part village Paharnagar Tikariya, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.

The details of the land incorporated in the scheme and map can be seen in the office of Housing Commissioner(Land Acquisition Section), U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or Office of the Executive Engineer, Construction Division Lucknow-09, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow on any working day from 11:00 AM to 2:00 PM.

The Land owners of the structures situated in the scheme and land/structure within 500.00 metre of the boundary of the scheme will also be liable to pay betterment fee/development charges according to requisite rules/provisions of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965.

The objections against the scheme shall be received at the office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer, Construction Division Lucknow-09, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow within 30 days from the first publication of this notice in Gazatte Uttar Pradesh. After the due date, no objection will be accepted. The objection so submitted should clearly mark out the correct Name of the Scheme and the Land/Building/Village Name/Khasra Number/Area of the land of the objector incorporated in the scheme and all other details.

RANVIR PRASAD,
Housing Commissioner.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, देवरिया

दिनांक : 26 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 2602/कर अनु0/2023-2024/देवरिया–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र में स्थित पालिका द्वारा निर्मित दुकानों के समस्त आवंटी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि मा0 बोर्ड बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 के प्रस्ताव संख्या 16 के अनुपालन में दुकानों के वर्तमान किराये में 50% की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली के सम्बन्ध में जिन दुकानदारों/हितबद्ध समिति/संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, देवरिया को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप से प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। केवल उन्हीं आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस उपविधि को प्रकाशित होने के 15 दिवस के अन्दर प्राप्त होगा। समय से आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत न किये जाने की दशा में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। उक्त का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 25 मार्च, 2021 को कराया गया था, आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 13 अप्रैल, 2021, 12 अगस्त, 2021 को किया जा चुका है। अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(1)–संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ –

(1) यह उपविधि पालिका द्वारा निर्मित दुकानों के किराया (लाइसेंस शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, देवरिया की सीमा में लागू होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद, देवरिया में प्रभावी होगी।

(2)–परिभाषायें–

(1) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 से है।

(2) अध्यक्ष का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, देवरिया के अध्यक्ष से है।

(3) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, देवरिया के अधिशासी अधिकारी से है।

(4) नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, देवरिया से है।

(3)–पालिका द्वारा निर्मित एवं आवंटी दुकानों के वर्तमान किराये में 50 प्रतिशत वृद्धि एवं शासनादेशानुसार प्रत्येक 05 वर्ष पर 12.5 वृद्धि।

अलका सिंह,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, देवरिया।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर,

नगरपालिका परिषद, स्योहारा विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली नियमावली–2023

04 जनवरी, 2024 ई0

सं0 1809/न0पा0प0स्यो0/2023–नगरपालिका परिषद स्योहारा जिला बिजनौर ने इस उपविधि को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128 की उपधारा (2) के खण्ड-7 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद स्योहारा में विज्ञापन कर का निर्धारण एवं वसूली नियमावली-2023 तैयार की गई है। जिसको निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपविधि पर दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु उपनियमावली को नियमानुसार समाचार-पत्रों दैनिक हिन्दुस्तान व समाचार-पत्र दैनिक बिजनौर टाइम्स में दिनांक 24 सितम्बर, 2023 को प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिन तक आम जनता की आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में 01 आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका नियमानुसार निस्तारण कर उपनियमावली को अन्तिम रूप दे दिया गया। उक्त उपनियमावली का अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 की बैठक में किया गया। स्वीकृत उपनियमावली का विवरण निम्नलिखित है।

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली नगरपालिका परिषद स्योहारा विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली नियमावली 2023 कही जायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद स्योहारा के क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषायें– जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(1) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 से है।

(2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, स्योहारा के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, स्योहारा से है।

(4) कर का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) में निर्दिष्ट विज्ञापनों पर कर से है।

(5) विज्ञापन का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है।

(6) प्रीमियम का तात्पर्य किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भा या दीवार/चहार दीवारी या भवन का उपयोग विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के संप्रदर्शित या परिनिर्मित या प्रदर्शित करने की अनुज्ञा देने के लिये नियत की गई धनराशि से है जिसमें विज्ञापन कर की धनराशि शामिल नही है।

(7) विज्ञापनकर्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन का विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गई हो और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(8) विज्ञापन प्रतीक का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हो और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे

संयोजित हो, या किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

3– समिति का गठन– अध्यक्ष/प्रशासक नगरपालिका की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(1) अध्यक्ष/प्रशासक नगरपालिका परिषद	अध्यक्ष
(2) अधिशासी अधिकारी	सचिव
(3) कर निर्धारण अधिकारी या कर अधीक्षक	सदस्य
(4) यातायात पुलिस विभाग का अधिकारी	सदस्य
(5) अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा नामित तीन निर्वाचित सदस्य	3 सदस्य

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी–

(क) प्रत्येक वर्ष माह मार्च में या आवश्यकतानुसार वित्तीय-वर्ष के दौरान विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चत करना।

(ख) विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ (प्रतिशिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर) क्षेत्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण करना–

(1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

(2) 'अ' श्रेणी क्षेत्र

(3) 'ब' श्रेणी क्षेत्र

(4) 'स' श्रेणी क्षेत्र

4– प्रतिषेध–

(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित, अनुज्ञा प्राप्त किये जाने बिना कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल नगर द्वारा विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, बल वाहन या किसी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र , जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभाग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन पर किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न संप्रदर्शित , न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिश्ठापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

5– प्रीमियम–

(1) अधिशासी अधिकारी सार्वजनिक स्थलों के लिए प्रीमियम धनराशि सार्वजनिक नीलामी या निविदा द्वारा नगरपालिका की स्वीकृति से नियत करेंगे।

(2) उपनियम (1) की प्रक्रिया में विफल होने पर प्रीमियम धनराशि नगरपालिका द्वारा नियत की जायेगी।

6– अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे नियत भुल्क भुगतान करके नगरपालिका के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आवेदन पत्र के साथ कर और देय प्रीमियम की पूर्ण धनराशि जमा की जायेगी।

7– अनुज्ञा प्रदान करने की शर्ते–

[1] किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो पर प्रदान की जायेगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगो और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्भृत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊॅचाई 02 मीटर से अधिक नही होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टो के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 02 मीटर जो भी अधिक हो से कम नही होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नही होगी।

(ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी द्वारा लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नही किया जायेगा।

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगे, प्रदर्शित किये जायेगे, सप्रदर्शित किये जायेगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

(ज) मार्ग के लिए खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साईकिल वालों के लिए स्वतन्त्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो के प्रकाश वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नही डाला जायेगा।

(ञ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने से पहले भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें जिसके पश्चात विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनकर्ता अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तो और इस नियमावली का अनुपालन करेगा।

(ठ) विज्ञपनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नही होना चाहिए।

(ड़) भवन से सम्बन्धित विज्ञपनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्व अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष लगाने की अनुज्ञा नही होगी।

(ण) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाढ़ा बांधा नही जायेगा।

[2] अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा–

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों सें गिर जाता है।

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन अधिशासी अधिकारी के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने या प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके उपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है।

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर जिसके ऊपर विज्ञापन परनिर्मित अवरूद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

8– आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार पर– अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन को निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है–

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विश्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या लोक मानस/नगरपालिका के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्ट कर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु सगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि अधिशासी अधिकारी की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता को कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना अथवा लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन में तूफान या अंधड़ के दौरान जीवित या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशान्ति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधो सें असंगत हो।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सप्रदर्शित किया जाना वाछंनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा 128 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

9– विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति– यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस नियमावली के उल्लघंन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो अधिशासी अधिकारी को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है या मिटवा सकता है और निन्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकता है–

(1) ऐसे हटायें जाने या मिटाये जाने का व्यय।

(2) ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लघंन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था के लिए क्षतियों की धनराशि।

10– छूट– इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापनों पट्टों पर लागू नही होगी–

(1) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(2) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(3) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रख किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(4) यातायात द्वारा प्रदत्त सभी विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 02 मीटर × 02 मीटर से अधिक न हो।

(5) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(6) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहनों जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या करोबार से सम्बन्धित हो, परन्तु यह 12×12 मीटर से अधिक न हो।

11– छतो के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन–

(1) किसी भवन की छत पर परनिर्मित, प्रदर्शित या सप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पटटों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र-पत्रक अनुमन्य है।

(2) किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊॅचाई 02 मीटर से अधिक नही होगी।

12– निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा– नगरपालिका या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्ही क्षेत्रों के विज्ञापन या विज्ञापन पटटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन आरेखण या लटकाने के लिये निशिद्ध घोषित कर सकती है।

13– प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति– अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई नगरपालिका अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस नियमावली द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत को या किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो इस नियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है परन्तु–

(1) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नही की जायेगी।

(2) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

14–कर भुगतान की रीति– कर एकल किस्त में संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नही किया जायेगा।

15–शास्ति– उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-299(1) के अधीन प्रदत्त भाक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त नियमों का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रसर जुर्माना किया जा सकेगा जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो पच्चीस रुपया तक हो सकता है।

विज्ञापन कर की दरों का विवरण

स्योहारा नगरपालिका परिषद की सीमाओं के भीतर समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर निम्नांकित विनिर्दिष्ट दर से लगाया जायेगा–

1–नगरपालिका में निहित/स्वामित्वाधीन/प्रबन्धाधीन भूमि, दीवाल और भवन सार्वजनिक स्थलों और सड़कों या निजी स्थल पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए–

प्रवर श्रेणी क्षेत्र	रु0 1,000 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी क्षेत्र	रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी क्षेत्र	रु0 500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी क्षेत्र	रु0 400 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2–यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट विद्युत अथवा इलेक्ट्रानिक प्रकाश युक्ति द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दर होगी।

3– (1) भाक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)–

हल्का वाहन	रु0 2,500 प्रतिवर्ष प्रति वाहन

भारी वाहन	रु0 10,000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन
(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर–	
(1) तीन पहिया वाहन	रु0 25.00 प्रतिदिन
(2) चार पहिया वाहन	रु0 250.00 प्रतिदिन
(3) छः पहिया वाहन	रु0 500.00 प्रतिदिन
4–विद्युत तथा अन्य खम्भो पर विज्ञापन पट्ट–	
प्रवर श्रेणी क्षेत्र	रु0 1,500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी क्षेत्र	रु0 1,000 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी क्षेत्र	रु0 750 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी क्षेत्र	रु0 500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5–पोस्टर	रु0 150 प्रति सैकड़ा एक बार
6–परचा	रु0 300 प्रति हजार एक बार
7–पताका (बैनर)	रु0 50 प्रति बैनर एक बार
8–विद्युत या इलेक्ट्रानिक युक्ति/परिवर्तनशील संदेश चिन्हो सहित प्रदीप्त चिन्ह–	
प्रवर श्रेणी क्षेत्र	रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी क्षेत्र	रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी क्षेत्र	रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी क्षेत्र	रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
9–गुब्बारे	रु0 250 प्रतिदिन
10–छतरी	रु0 250 प्रतिदिन
11–एक स्तम्भ	ऊपर मद 1 के अनुसार

किन्तु (1) यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 मास से अधिक नही होती है तो उक्त विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

(2) यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अनाधिक अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी निर्देश दे सकता है कि कर मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किस्त में वसूला जायेगा।

नोट–यह उपविधि गज़ट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

फ़ैसल वारसी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, स्योहारा,
जनपद-बिजनौर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर

नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति नियमावली-2023

04 जनवरी, 2024 ई0

सं0 1810/न0पा0प0स्यो0/2023-24—नगरपालिका परिषद स्योहारा जिला बिजनौर द्वारा इस उपविधि को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद स्योहारा में भवनों के निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि-2023 तैयार किया गया है। उक्त उपविधि को निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा बोर्ड में स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपविधि पर दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु उपनियमावली को नियमानुसार समाचार-पत्रों दैनिक जागरण व समाचार-पत्र दैनिक विधान केसरी में दिनांक 20 सितम्बर, 2023 को प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिन तक आम जनता की आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में 03 आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसका नियमानुसार निस्तारण कर उपनियमावली को अन्तिम रूप दे दिया गया, जिसका अनुमोदन निकाय बोर्ड द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 की बैठक में कर दिया गया है। स्वीकृत उपनियमावली का विवरण निम्नलिखित है—

(अ)— **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—

1— यह उपविधि नगरपालिका परिषद स्योहारा जनपद बिजनौर की "नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति नियमावली-2023" कहलायेगी।

2— यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी एवं किसी भी प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस/सूचना देकर प्रकाशित किये जायेगें।

(ब)— **लागू होना**—

1— यह उपविधि उत्तर प्रदेश राजपत्र में गजट प्रकाशन होने की दिनांक से नगरपालिका परिषद स्योहारा जनपद बिजनौर में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी) लागू होंगी एवं नगरपालिका परिषद स्योहारा जनपद बिजनौर की सीमा के प्रत्येक स्वामित्व वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर लागू होगी।

(स)— **परिभाषा**— इस उपविधि में जब तक कि इस सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत है—

1— नगरपालिका परिषद से तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा जनपद बिजनौर से है।

2— अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा के अधिशासी अधिकारी से है।

3— प्रशासक/अध्यक्ष से तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

4— अधिनियम से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 से है।

5— भूमि/भवन से तात्पर्य नगरपालिका परिषद की सीमा में भूमि/भवन से है।

6– अतिरिक्त तल से तात्पर्य दो मंजिला, तीन मंजिला भवन आदि से है।

7– भू-तल से तात्पर्य पहली मंजिल से है।

8– भूमिगत तल से तात्पर्य अण्डर ग्राउण्ड भवन से है।

नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति नियमावली-2023

1– यह कि नगरपालिका परिषद स्योहारा जनपद बिजनौर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद से भवन के मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त ही किसी भवन में निर्माण/मरम्मत/संशोधन/विलोपन कर सकेगा।

2– नगरपालिका परिषद स्योहारा से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी।

अ– आवेदक को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि रु0 100.00 के कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर होगा।

ब– इस आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को स्वीकृति हेतु दो मानचित्र मय सीमा के प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्रों का पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा यह भी दर्शाया जायेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

स– आवेदक इस मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहॉ निर्माण कार्य करना चाहता है उसकी अपनी है, उसका व्यौरा प्रस्तुत करेगा। मानचित्र में भू-खण्ड की चौहद्दी के साथ-साथ भू-खण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम मानचित्र में दर्शानें अनिवार्य होगें।

द– आवेदन-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए वह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेर बदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नव निर्माण करना चाहता है।

य– जिस (ड्राफ्ट) मैन से नक्शा बनवायेगा उसी से उस भवन का अनुमानित लागत का स्टीमेट भी प्रस्तुत करेगा।

र– नक्शे ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और एक तीसरा नक्शा जो नगरपालिका परिषद में रखा जायेगा वह ट्रेसिंग पेपर पर होगा।

ल– आवेदक आवेदन-पत्र के साथ लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

3– भवन निर्माण–

क– इस प्रकार का कोई जंगला या खिड़की न लगायी जायेगी, जिससे कि बराबर में रहने वाले को परेशानी हो।

ख– छत का पानी नीचे तक पाइप द्वारा उतारा जायेगा तथा उसकी नाली सरकारी न होने पर स्वयं अपने व्यय से लगानी होगी यदि वहॉ पर सरकारी नाली नही है तो प्रार्थी को उसके लिये एक सोक पिट अपनी ही भूमि पर निर्माण करवाना होगा।

ग– दो मंजिले पर इस प्रकार का कोई शौचालय नही बनवाया जायेगा जिसका मलमूत्र पाइप के द्वारा मकान से बाहर होकर नीचे उतरता हो या सड़क पर गन्दगी फैलाता हो।

घ– सरकारी नाली या सड़क के ऊपर जो प्रोजेक्शन किया जायेगा उस पर अन्य किसी प्रकार का निर्माण नही किया जायेगा तथा नीचे का लेन्टर नाली के किनारे तक और ऊपर का नीचे के प्रोजेक्शन से एक फिट से अधिक नही निकाला जायेगा। सड़क पर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्शन नही किया जायेगा ।

ड़– भवन का परनाला सरकारी संघ पर या गली में किसी भी हालत में नही डाला जायेगा जब तक कि उसके पानी की सरकारी नाली पर पहुॅचाने की पूर्ण व्यवस्था न कर दी गयी हो।

च– 100 से 300 वर्ग मीटर भूमि पर भवन निर्माण के साथ जल संचयन हेतु सोक पिट लगाया जाना अनिवार्य होगा।

छ– 300 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर भवन निर्माण के साथ जल संचयन हेतु रूफ टाप रैन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य होगा।

स्वीकृति की विधि–

4– जब आवेदक मय नक्शों के प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, तब सर्व प्रथम उसका इन्द्राज रजिस्टर में किया जायेगा। जिसमें कर समाहर्ता इस प्रकार की रिपोर्ट देगा कि इस भूमि या भवन का स्वामी हमारे रिकार्ड में इन्द्राज है अथवा नहीं तथा इस मकान पर नगरपालिका परिषद का कोई किसी प्रकार का टैक्स आदि अवशेष नहीं है।

5– कार्यालय की रिपोर्ट के पश्चात यह आवेदन-पत्र मय नक्शे अवर अभियन्ता को जॉच हेतु भेज दिया जायेगा जो कि मौके पर स्वयं जाकर अथवा इस हेतु किसी तकनीकी कर्मचारी को नामित करेगा जो भूमि तथा प्लाट का मिलान करेगें और अपनी रिपोर्ट सही पाये जाने पर इस प्रकार देगें, कि नक्शे के मुताबिक नियामानुसार/अद्यतन शासनादेशानुसार निर्माण उचित है। स्वास्थ्य के लिहाज से गन्दे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है और इस निर्माण की आज्ञा देने में नगरपालिका परिषद की संपत्ति/शासकीय सम्पत्ति की किसी प्रकार की हानि नही है। भवन निर्माण पर कोई शिकायत प्राप्त होने पर सम्पत्ति विवादित होने की स्थिति में उसकी स्थलीय व अभिलेखीय जॉंच सम्बन्धित तहसील से कराये जाने के पश्चात ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

6– इसके पश्चात आवेदक को यह अवगत कराया जायेगा कि यह नियमानुसार निर्माण फीस जमा करवा दे। निर्माण फीस जमा हो जाने के पश्चात अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के बाद अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद एक स्वीकृति पत्र अधिशासी अधिकारी के माध्यम से प्रार्थी को भेज दिया जायेगा। इस आज्ञा के पश्चात ही प्रार्थी निर्माण कार्य आरम्भ कर सकता है। निर्माण कार्य आरम्भ करने से 24 घण्टे पूर्व नगरपालिका परिषद कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

7– यह आज्ञा केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी। यदि इस निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नही होता है तो आवेदक कारण स्पष्ट करते हुए पुनः नगरपालिका परिषद में अवधि बढ़वाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्ततु करेगा तथा प्रार्थना-पत्र के साथ स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करेगा और जो पूर्व फीस जमा की उसका ½ हिस्सा पुनः फीस के रूप में जमा करनी होगी। यह अवधि छः माह से अधिक नही बढ़ाई जायेगी। इस 6 माह की अवधि बढ़ाने के लिए अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा, यदि विशेष परिस्थितियों में प्रार्थी इसके पश्चात भी समय चाहता है तो यह प्रार्थना-पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

8– जैसे ही भवन का निर्माण कार्य समाप्त होगा, वैसे ही प्रार्थी नगरपालिका परिषद स्योहारा को अवगत करायेगा तथा नगरपालिका परिषद कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्राप्त करेगा। इसके बाद ही वह भवन रहने योग्य माना जायेगा।

9– भवन निर्माण प्रक्रिया में आवेदक द्वारा मा0 एन0जी0टी0 व सी0 एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट अधिनियम-2023 के प्राविधानों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दरें

क्र0 सं0	भवन	क्षेत्रफल	भू-तल शुल्क प्रति वर्ग फुट	अतिरिक्त तल शुल्क प्रति वर्ग फुट	भूमिगत तल शुल्क प्रति वर्ग फुट
1	2	3	4	5	6
			रु0	रु0	रु0
1	व्यवसायिक भवन	40 वर्गमीटर तक	05.00	03.00	20.00
2	व्यवसायिक भवन	40 वर्गमीटर के ऊपर	07.00	04.00	30.00
3	गोदाम	40 वर्गमीटर तक	05.00	03.00	20.00
4	गोदाम	40 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल	08.00	04.00	40.00
5	होटल का विश्राम गृह वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना	40 वर्गमीटर तक	10.00	05.00	50.00
6	होटल का विश्राम गृह वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना	40 वर्गमीटर के ऊपर	12.00	06.00	60.00
7	रिहायसी भवन	200 वर्गमीटर तक	05.00	03.00	20.00
8	रिहायसी भवन	200 वर्गमीटर के ऊपर 500 वर्गमीटर तक	06.00	03.00	30.00
9	रिहायसी भवन	500 वर्गमीटर के ऊपर	07.00	04.00	30.00

यदि कोई दुकान रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था, के द्वारा बनाया जा रहा है तो उसकी फीस उपरोक्त दरों की ½ होगी। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, धर्मशाला, या अन्य कोई पूजा गृह जिसमें किराये आदि के लिए वह निःशुल्क होगा। खाली प्लाट की यदि बाउण्ड्री ही बनानी है तो उसके लिए मात्र रु0 2,000.00 फीस देय होगी।

10– निर्माण का आवेदन-पत्र आने की तिथि से 60 दिन के भीतर स्वीकृत होना अनिवार्य होगा, यदि बोर्ड की कोई आपत्ति है तो आवेदक को अवगत कराया जायेगा, अन्यथा आवेदक गुजरने मियाद 60 दिन बोर्ड की एक सूचना पत्र प्रस्तुत करेगा जिसका समय 7 दिन का होगा। इसके पश्चात वह अपना निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देगा।

11– प्रार्थी यदि नक्शा स्वीकृति हो जाने के बाद कोई परिवर्तन करता है तो पुनः दूसरा नक्शा तथा पहला स्वीकृत नक्शा जिस पर आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, प्रस्तुत करेगा तथा उपरोक्त अंकित फीस का ½ भाग जमा करायेगा।

12– स्वीकृति देने के बाद यदि बोर्ड जनहित में उक्त स्वीकृति को रद्द करना उचित समझता है तो पूरे कारण को स्पष्ट करते हुए भू-स्वामी को नोटिस दे और नोटिस देकर आज्ञा को रद्द कर सकता है, जिसकी अपील अन्दर मियाद 30 दिन जिलाधिकारी बिजनौर को प्रस्तुत की जा सकती है।

13– प्रारम्भ में जिसमें केवल प्लास्टर आदि या छत आदि ढकनो के लिए रु0 100.00 फीस तथा सादे कागज पर प्रार्थना-पत्र देगा। यदि प्रार्थी पुरानी बुनियादों पर भी क्षतिग्रस्त होने के कारण छत बदलना चाहता है तो रु0 500.00 फीस जमा करवायेगा, यदि नीचे की मंजिल बनी है और प्रार्थी दूसरी मंजिल बनावाना चाहता है तो उसके लिए उपविधियों में वर्णित पूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी।

दण्ड

यू0पी0 म्यूनिसिपालिटीज एक्ट 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद स्योहारा यह निर्देश देती है कि उपरोक्त किसी भी उपविधि के प्रस्तर के उल्लघंन करने पर दण्ड दिया जायेगा जो रु0 10,000.00 तक हो सकता है। यदि उल्लघंन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 500.00 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जा सकता है।

नोट–यह उपविधि गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

फ़ैसल वारसी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद स्योहारा,
जनपद बिजनौर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर

नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर स्वकर निर्धारण नियमावली, 2023

04 जनवरी, 2024 ई0

सं0 1811/नि0/न0पा0प0स्यो0/2023–नगरपालिका परिषद स्योहारा बिजनौर की सीमा में स्थित समस्त आवासीय भवनों/व्यवसायिक/औद्योगिक भवनों तथा खाली पड़े भू-खण्डों पर सम्पत्ति कर (गृहकर व जलकर) आरोपित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, (संशोधन) 2011 की धारा 128 (1), 140(1), 141 क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं नगर विकास अनुभाग-9 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190 द्वि0रा0वि0आ0/04, दिनांक 18 मार्च, 2011 तथा उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 08 जून, 2017 के अनुपालन में नगर सीमान्तर्गत भवनों/भूमियों तथा सम्पत्तियों के द्विवर्षीय/आकस्मिक गृहकर निर्धारण हेतु स्वमूल्यांकन (स्वकर) निर्धारण नियमावली वर्ष, 2023 बनायी गयी है। जिसको निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपविधि पर दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु उपनियमावली को नियमानुसार समाचार-पत्रों दैनिक अमर उजाला में दिनांक 20 सितम्बर, 2023 व समाचार-पत्र पब्लिक इमोशन में दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिन तक आम जनता की आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में 02 आपत्तियां प्राप्त हुई। जिसका नियमानुसार निस्तारण कर उपनियमावली को अन्तिम रूप दे दिया गया। जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 की बैठक में किया गया। स्वीकृत उपनियमावली का विवरण निम्नलिखित है

उपविधि

1– नाम– यह नियमावली स्वकर निर्धारण नियमावली-2023 नगरपालिका परिषद, स्योहारा बिजनौर के नाम से जानी जायेगी।

2– अर्थ– स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन/भू-खण्ड की माप कर इस नियमावली में उल्लिखित दरों के आधार पर आगणन कर भवन/भू-खण्ड पर कर निर्धारण कर सकेगा।

3– परिभाषाएं– इस नियमावली में–

(1) नगरपालिका से तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा बिजनौर से है।

(2) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(3) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद स्योहारा बिजनौर से है।

(4) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा (बिजनौर) के अध्यक्ष /प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी से है।

(5) सम्पत्ति से तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा (बिजनौर) की सीमा में स्थित भूमि/भवन या दोनों से है।

(6) स्वकर निर्धारण का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमावली के संलग्न प्रपत्र-क में दाखिल किये जाने वाले स्वतः निर्धारण विवरण से है।

(7) आवासीय भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक ईकाई उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और आवासीय उपयोग का प्राविधान हो। किन्तु उसमें व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग के लिए होटल, लाज या किसी अन्य प्रकार के भवन सम्मिलित न होगें।

(8) अनावासीय भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका प्रयोग व्यावसायिक/आद्यौगिक/गैर आवासीय गतिविधियां संचालित हो रही है।

(9) मिश्रित भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसमें आवासीय के साथ-साथ व्यावसायिक /औद्योगिक/गैर आवासीय गतिविधियां संचालित हो रही है।

(10) पक्का भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी दीवार, ईंट/पत्थर या ऐसे ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो तथा जिसकी छत आर0सी0सी0 या आर0बी0सी0 पद्धति से निर्मित हो।

(11) अन्य पक्का भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी छत कड़ी, पटियां एवं गार्डरों तथा लोहा/सीमेंट/फाईबर की चादर से निर्मित हो।

(12) कच्चा भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी छत अस्थायी साधनों यथा-छप्पर, आदि से निर्मित हो।

(13) मासिक किराया दर से तात्पर्य नगरपालिका परिषद द्वारा वार्डवार निर्धारित भवनों/भूमि के कारपेट एरिया/आच्छादित क्षेत्रफल के लिए निर्धारित प्रतिवर्ग फुट मासिक से है।

(14) वार्षिक मूल्य का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्रफल के वार्षिक किराया मूल्य से है।

(15) आच्छादित क्षेत्रफल से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।

(16) कारपेट एरिया से तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट कारपेट एरिया से है।

(17) मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर स्थित सरकारी नाली/नाला के बीच की दूरी से है।

(18) अधिसूचित बैंक से तात्पर्य कर की धनराशि को जमा करने के लिए नगरपालिका परिषद स्योहारा द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंको से है।

4– कारपेट एरिया की गणना नियमानुसार की जायेगी–

(क) कमरे– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ख) आच्छादित बरामदा– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ग) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।

(घ) गैराज आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप।

(ड़) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नही होगा।

5– वार्षिक मूल्य की गणना निम्नानुसार की जायेगी –

(1) आवासीय भवनों के वार्षिक किराया मूल्य की गणना–

वर्षिक किराया मूल्य = कारपेट एरिया X निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर X 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल X निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर X 12 X 80 प्रतिशत।

(2) अनावासीय /गैर आवासीय /व्यवसायिक भवनों के वार्षिक मूल्य की गणना–

वार्षिक मूल्य = आच्छादित क्षेत्रफल/ भूमि का खुला क्षेत्रफल X निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर X 4 (गुणक) X 12

(3) औद्योगिक इकाईयों के भवन /भूमि की वार्षिक मूल्य की गणना–

वार्षिक मूल्य = आच्छादित क्षेत्रफल /भूमि का खुला क्षेत्रफल X निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर X 2 (गुणक) X 12

6– स्वतः अध्यासित आवासीय भवनों के लिए छूट –

(क) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्याकंन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

7– किराये पर उठे आवासीय भवन –

(क) (1) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।

(2) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 10 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।

(3) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में अगणित वार्षिक मूल्यांकन के बराबर समझा जायेगा।

(ख) किराये पर उठे अनावासीय/औद्योगिक/व्यावसायिक भवन का मूल्याकंन अनुबन्ध में उल्लिखित वास्तविक किराये या मासिक किराया दर (प्रतिवर्ग फुट) मूल्याकंन जो अधिक है, पर किया जायेगा।

8– रेन्ट कन्ट्रोल के मकान– रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगरपालिका परिषद स्योहारा (बिजनौर) प्रत्येक करों की गणना के लिए वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नही होगा। बल्कि इसके किराये का निर्धारण, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा, ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदारों की होगी।

9– जिन भवनों में किरायेदारों और सर्वे में भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/ अध्यासी को ही गृहकर का भुगतान करना होगा।

10– अनावासीय /गैर आवासीय भवन से तात्पर्य–

(1) सभी प्रकार के फुटकर दुकाने, शोरूम, कृषि उपकरणों के विक्रय केन्द्र, शीतगृह, सिनेमा व मल्टिप्लेक्स, पी0सी0ओ0, पैट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम, बैंक, वाणिज्य कार्यालय, नर्सिगं होम, अस्पताल, बारात घर, होटल, रेस्टोरेन्ट, गेस्ट हाउस व अन्य व्यावसायिक भवन/भूमि से है।

(2) सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयों/भूमि से है।

11– अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (क) से (छ) तक को छोड़कर नगरपालिका सीमा में स्थित समस्त भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का उदग्रहण किया जायेगा।

12– वार्षिक मूल्याकंन के आधार पर आगणित कर से सम्बन्धित आधारभूत तथ्य–

(क) नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका परिषद क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगें। (संशोधित धारा 141)।

(ख) उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है।

(ग) सर्वेक्षण के दौरान आवासीय/व्यावसायिक /आद्यौगिक भवनों के पृथक-पृथक भवन संख्यायें आवंटित की जायेगी। यदि किसी भवन में आवासीय एवं व्यावसायिक दोनों गतिविधियां पाई जाती है तो दोनों पृथक-पृथक भवन संख्यायें आवंटित की जायेगी।

(घ) अनावासीय /व्यवसायिक /औद्योगिक भवनों पर कर निर्धारण नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

13– कोई भी व्यक्ति यदि नगरपालिका परिषद स्योहारा (बिजनौर) की सीमा में स्थित भवन/भूमि का स्वामी अध्यासी है तो वें भवन/भूमि में सम्पत्ति कर का निर्धारण निर्धारित मासिक किरायेदारी (प्रतिवर्ग फुट) के आधार पर स्वयं मूल्याकंन द्वारा कर लेगें। इसके लिए नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर से एक आवेदन-पत्र (प्रपत्र-क और प्रपत्र ख) प्राप्त कर अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वयं स्वकर का निर्धारण करेगें।

14– आवेदन– पत्र (प्रपत्र-क और प्रपत्र-ख) नगरपालिका परिषद, स्योहारा (बिजनौर) से निः शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

15– जिन भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नही अपनाया जायेगा, तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगरपालिका परिषद, स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा की जायेगी।

16– भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासियों द्वारा आवेदन-पत्र (प्रपत्र-क और प्रपत्र- ख) में गलत तथ्य/सूचना देने पर उसको रु0 10,000.00 से अनाधिक अर्थदण्ड देय होगा।

17– कर दर निर्धारण –

(1) गृहकर की देयता वार्षिक होगी जो वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत होगा।

(2) जल कर की देयता वार्षिक होगी जो वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत होगा तथा जल कर व जल मूल्य में से किसी एक अधिकतम का उदग्रहण किया जायेगा।

18– करों का भुगतान–

(1) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी बनाये गये नियम अधीन निर्धारित भवन/ भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा,

नगरपालिका परिषद, स्योहारा जनपद बिजनौर में कर का भुगतान किया जायेगा। स्वकर निर्धारण का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की दशा में उपविधि में दी गयी शास्ति तथा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) के भी अनुसार कर की वसूली की जायेगी।

(2) जिन भवनों/भूमि को नगरपालिका परिषद, स्योहारा (बिजनौर) द्वारा भवन /भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हे भी प्रपत्र–क और प्रपत्र– ख पर उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उनके भवन/ भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र–क के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया कर भी जमा करेगें।

(3) जब किसी भवन में निर्माण या पुर्ननिर्माण के फलस्वरूप कारपेट एरिया/ भूमि के क्षेत्रफल अथवा दोनों में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन किया जाता है तो उसके निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से 3 माह के अन्दर यथा स्थिति भवन स्वामी /अध्यासी द्वारा प्रपत्र– ख में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित भवन को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में लिया गया हो तो इसके तीन माह के अन्दर प्रपत्र ख में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19– करों की छूट– गृहकर एवं जल कर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य कर जमा करने की दशा में चालू मांग में 15 प्रतिशत तथा 01 अगस्त से 31 दिसम्बर के मध्य कर जमा करने की दशा में चालू मांग में 10 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। इसके पश्चात् कर जमा करने पर कोई छूट अनुमन्य नही होगी। किन्तु वित्तीय वर्ष 2023–24 का गृहकर एवं जल कर उपविधि में उल्लिखित दरों तथा स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार आगणन कर जमा करने की दशा में चालू मांग में 10 प्रतिशत की छूट दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अनुमन्य होगी।

20– मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी– कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी, अथवा स्वामी के रूप में अंकित करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा, और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करने हेतु विचाराधीन है तो उसका उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके वाद कर सूची में आवेदन के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

21– मकानों के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियम–

(क) यदि किसी भवन अथवा भूमि का जिस पर कर आरोपित है, स्वामित्व विक्रय विलेख के आधार पर हस्तान्तरित होता है, तो स्वत्व हस्तान्तरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वत्व पाने वाले व्यक्ति या संस्था ऐसे हस्तान्तरण के 3 माह के अन्दर उसकी सूचना प्रेषित करना अनिवार्य होगा। विक्रय विलेख के बाजारी मूल्य के अनुसार नामान्तरण हेतु निम्नवत शुल्क देना होगा–

1– रु0 1.00 से 1,00,000.00 बाजारी मूल्य तक –	रु0 300.00
2– रु0 1,00,001 से 2,00,000.00 बाजारी मूल्य तक –	रु0 400.00
3– रु0 2,00,001 से 3,00,000.00 बाजारी मूल्य तक –	रु0 500.00
4– रु0 3,00,001 से 5,00,000.00 बाजारी मूल्य तक –	रु0 1,000.00
5– रु0 5,00,001 से अधिक बाजारी मूल्य होने पर –	रु0 1,500.00

प्रचलित सर्किल दरों के आधार पर कुल सम्पत्ति मूल्य का 01 प्रतिशत नामान्तरण शुल्क के रूप में देय होगा।

(ख) यदि किसी कर दाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर इसकी लिखित सूचना प्रेषित करना अनिवार्य होगा। ऐसे मामलों में नाम परिवर्तन हेतु नामान्तरण शुल्क रु0 500.00 देय होगा।

(ग) यदि किसी भवन/भूमि का क्रेता या उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर नामान्तरण हेतु सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उपरोक्तानुसार निर्धारित फीस के साथ-साथ विलम्ब शुल्क रु0 5,000.00 देय होगा।

22– नगरपालिका परिषद की ओर से अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 158 (1) (2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन /भूमि स्वामी को उसकी सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

23– (क) निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा अपनी सीमान्तर्गत आवासीय भवनों/भूमि का वार्षिक मूल्याकंन निम्न दरों (प्रति वर्ग फूट प्रति माह) पर निर्धारित किया जायेगा–

क्रम सं0	कक्ष (वार्ड) का नाम	सम्पत्ति कर प्रकार	9 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			6 मी0 से 9 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			6 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			केवल भूमि/भूखण्ड के सम्बन्ध में		
			आर0 सी0सी0/ आर0बी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0 सी0सी0/ आर0बी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0 सी0सी0/ आर0बी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	9 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि /भू-खण्ड	6 मी0 से 9 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि / भू-खण्ड	6 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि / भू-खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1 से 25	आवासीय	1.50	1.20	0.80	1.20	1.00	0.70	1.00	0.80	0.60	0.50	0.40	0.30

(ख) उपविधि के प्रस्तर-10 (1) के अन्तर्गत अनावासीय/गैर आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उपविधि के प्रस्तर-5 (2) के अनुसार निर्धारित प्रति इकाई की उपरोक्त आवासीय मासिक किराया दरों के आधार पर आंगणित वार्षिक मूल्य के 4 गुना (गुणक) मूल्य से है।

(ग) उपविधि के प्रस्तर-10 (2) के अन्तर्गत अनावासीय/गैर आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उपविधि के प्रस्तर-5 (3) के अनुसार निर्धारित प्रति इकाई की उपरोक्त आवासीय मासिक किराया दरों के आधार पर आंगणित वार्षिक मूल्य के 2 गुना (गुणक) मूल्य से है।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 209 (1) के द्वारा प्राप्त/प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद, स्योहारा (बिजनौर) यह निर्देश देती है कि–

(1) जो व्यक्ति इस उपविधि के उपबन्धों का उल्लघंन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, उसे रु0 10,000.00 (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है और जब ऐसा उल्लघंन निरन्तर किये जाने की स्थिति में प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध होगा, रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुये भी इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, अपराध के लिये नियत अर्थदण्ड की अन्यून एक तिहाई धनराशि और अनाधिक आधी धनराशि की वसूली पर अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा किया जा सकता है।

नोट– यह उपविधि गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

फ़ैसल वारसी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद स्योहारा,
जनपद बिजनौर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर

वाणिज्य नियंत्रण एवं लाईसेन्स शुल्क उपनियमावली नगरपालिका परिषद स्योहारा–2023

04 जनवरी, 2024 ई0

सं0 1812/नियमावली/न0पा0प0स्यो0/2023–नगरपालिका परिषद स्योहारा जिला बिजनौर ने इस उपविधि को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद स्योहारा में वाणिज्य नियंत्रण एवं लाईसेन्स शुल्क उपनियमावली बनायी गयी है। जिसको निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपविधि पर दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु उपनियमावली को नियमानुसार समाचार-पत्रों दैनिक जागरण व समाचार-पत्र दैनिक जनवाणी में दिनांक 24 सितम्बर, 2023 को प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिन तक आम जनता की आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में 01 आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका नियमानुसार निस्तारण कर उपनियमावली को अन्तिम रूप दे दिया गया, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 की बैठक में किया गया। स्वीकृत उपनियमावली का विवरण निम्नलिखित है।

परिभाषा– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों में–

1– ''उपविधि'' का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, स्योहारा बिजनौर द्वारा बनाई गई उपविधि से है।

2– ''अधिनियम'' से तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

3– ''नगरपालिका परिषद'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, स्योहारा से है।

4– ''अधिसूचना'' से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।

5– ''विहित अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।

6– ''कर/शुल्क'' का तात्पर्य विभिन्न उप नियमावलियों में वर्णित विविध मदों पर लगाये गये कर/शुल्क से है।

7– ''नगरपालिका परिषद क्षेत्र'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, स्योहारा बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत आने वाले उसके अधिसूचित क्षेत्र से है।

8– ''नगरपालिका परिषद स्योहारा, बिजनौर'' से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-घ, के खण्ड-1 के उपखण्ड (क) के अधीन व उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद से है।

9– ''सार्वजनिक क्षेत्र'' से तात्पर्य ऐसी जगह से है, जो किसी की निजी सम्पत्ति न हो और आम जनता के उपभोग, उपयोग के लिये खुला हो। चाहे ऐसी जगह नगरपालिका परिषद में निहित हो अथवा नही।

10– ''संक्रमित क्षेत्र'' से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो नगरपालिका परिषद के अधिसूचित क्षेत्र में नही आते है, लेकिन वर्तमान में निकाय के आबादी क्षेत्र में प्रसार होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में नागरिको को मूलभूत सुविधायें जैसे सड़क, नाला-नाली आदि का निर्माण, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था नगरपालिका परिषद स्योहारा द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, पर भी यह नियमावली लागू समझी जायेगी।

11– ''अध्यक्ष नगरपालिका परिषद'' से तात्पर्य निकाय स्योहारा की जनता द्वारा चुने गये अध्यक्ष से है।

12– ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, स्योहारा में अधिशासी अधिकारी पद पर नियुक्त/कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

13– ''प्रभारी अधिकारी'' से तात्पर्य निकाय के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय से है।

14– ''प्रशासक'' से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा नगरपालिका परिषद, स्योहारा, बिजनौर के लिए प्रशासक के पद पर नियुक्त किये गये अधिकारी से है।

15– ''लेखाकार/लेखा लिपिक'' से तात्पर्य शासन के आदेश के अनुक्रम में निकाय में नियुक्त किये गये लेखाकार/लेखा लिपिक से है।

16– ''कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/ राजस्व निरीक्षक/ लिपिक'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा में इन पदों पर कार्यरत कर-समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/लिपिक से है।

17– अन्य बातों के रहते हुए अगर किसी शब्द की परिभाषा उपविधियों में प्रसारित नही है, तब उसका अर्थ नगरपालिका अधिनियम में दी गई परिभाषा से लिया जायेगा।

18– ''नगरपालिका परिषद सेवक'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो नगरपालिका परिषद से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो।

19– ''ठेकेदार'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने सीलबन्द निविदा देकर या सरेआम बोली लगाकर ठेके को वसूलने का नगरपालिका परिषद से एक अधिकार प्राप्त किया हो।

1– वाणिज्य नियंत्रण एवं लाईसेन्स शुल्क उपनियमावली–

(1) संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–

(1) नगरपालिका परिषद स्योहारा, बिजनौर की वाणिज्य नियंत्रण लाईसेन्स शुल्क उप नियमावली-2023 कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्रावधान इस नियमावली पर प्रभावी होगें।

(3) इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेगें।

2– नियम व शर्ते–

क्र0सं0	विवरण	प्रस्तावित दरें
1	2	3
		रु0 (प्रतिवर्ष)
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैया	1,000.00
2	तीन सितारा होटल	9,000.00
3	पाँच सितारा होटल	12,000.00
नर्सिगं होम–		
4	नर्सिगं होम (20 बेड तक)	2,000.00
5	नर्सिगं होम (20 बेड से 50 बेड तक)	5,000.00
6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	4,000.00
7	प्रसूति गह (20 बेड से 50 बेड तक)	5,000.00
8	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
9	पैथालाजी सेन्टर	1,000.00

1	2	3
		रु0 (प्रतिवर्ष)
10	एक्सरे /अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक	2,000.00
11	डेन्टल क्लीनिक	4,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	3,000.00
परिवहन–		
13	ऑटो रिक्शा (2 सीटर)	360.00
14	ऑटो रिक्शा (7 सीटर)	720.00
15	ऑटो रिक्शा (4 सीटर)	500.00
16	मिनी बस	1,500.00
17	बस	2,500.00
18	तांगा	50.00
19	रिक्शा किराये पर	150.00
20	रिक्शा निजी चालित	75.00
21	ठेला/ठेली	100.00
22	हाथ ठेला	25.00
23	बैलगाड़ी /भैंसा गाड़ी	150.00
24	ट्राली	150.00
अन्य व्यवसाय–		
25	फाइनेन्स कम्पनी /चिट फण्ड	6,000.00
26	इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	1,2000.00
27	पशुवध (स्लाटर हाउस)	10.00
28	हड्डी, खाल, सींग, गोदाम	1,000.00
29	बार/ बीयर	6,000.00
30	आइस फैक्ट्री	100.00
दुकान–		
31	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
32	देशी शराब की दुकान (प्रति दुकान)	6,000.00
33	अंग्रेजी शराब /बीयर की दुकान (प्रति दुकान)	12,000.00

1	2	3
		रु0 (प्रतिवर्ष)
पशुपालन–		
34	पालतू पशु प्रति पशु	10.00
35	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00 प्रतिपशु
36	कांजी हाउस में बन्द जानवर प्रति खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	10.00 प्रतिदिन
37	प्रति खुराकी बड़े जानवरी (गाय, भैंस, घोड़ा आदि)	25.00 प्रतिदिन

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद, स्योहारा, जनपद बिजनौर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि में दिये उपनियमों में किसी प्रकार का उल्लघंन करने पर मु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड दिया जायेगा जो किसी भी दशा में रु0 250.00 (दो सौ पचास रुपये) से कम न होगा। यदि अपराध निरन्तर करता रहा हो या करता हुआ मिलता हो तो दोष सिद्धि के दिनांक से अंकन रु0 25.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना से दण्डनीय होगा।

नोट– यह उपनियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

फ़ैसल वारसी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद स्योहारा,
जनपद बिजनौर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद स्योहारा, (बिजनौर)

04 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1813/नि0-न0पा0प0(स्यो0)2023–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं0 2 सन् 1916) की धारा 298 की उपधारा (2) की सूची (ब) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर (मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्व कानूनी कार्यवाही) उपविधि, बनाती है, जिसे नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर में दिनॉक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपविधि पर दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु नियमावली को नियमानुसार समाचार-पत्र दैनिक हिन्दुस्तान में 17 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिन तक आम जनता की आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उक्त नियमावली का अनुमोदन निकाय बोर्ड द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 की बैठक में किया गया। स्वीकृत उपनियमावली का विवरण निम्नलिखित है–

मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्व कानूनी कार्यवाही उपविधि

1–शीर्षक प्रसार और विस्तार–

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर (मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्व कानूनी कार्यवाही) उपविधि, 2023 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन की दिनॉक से प्रभावी मानी जायेगी।

2–परिभाषायें–

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस उपविधि में–

(क) अध्यक्ष से तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा, के अध्यक्ष से है।

(ख) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा, के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) नगर स्वास्थ्य अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा, के नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है, और नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद न होने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी होगा।

3–प्रतिषेध– कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में–

(1) पानी को ऐसे जमा नहीं होने देगा या बहने नहीं देगा कि जिसमें मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सके या उनके उसमें प्रजनन करने की सम्भावना हो।

(2) इस क्षेत्र में न तो खुद पानी जमा होने देगा और न दूसरे को ऐसा करने की अनुमति देगा और न किसी प्रकार से पानी को वहां जमा या संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हों या पैदा होने की संभावना हो। ऐसा वह उसी हालत में होने देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेन्ट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा ही न हो पाये।

4–प्रजनन अभिज्ञापन–किसी भी स्थिर पानी या बहते पानी के जल निकास (वाटर बाडी) में यदि लार्वे पाये जायें तो इस बात के प्रमाण होंगे की उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

5–मच्छरों के प्रजनन (ब्रीडिंग प्लेसज) का कीटनाशी उपचार–

(1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी जिन रुके हुए या बहते हुए पानी के स्थानों में मच्छर पनप रहे हों, या उनके पनपने की सम्भावना हो उन सभी के स्वामियों (ओनरों), अभिग्राहियों (ऑक्यूपायरों) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में (जो चौबीस घंटो से कम नहीं) भौतिक, रसायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समझते हों, उन प्रजनन स्थलों को उपचारिता (ट्रीट) करवायेगा।

(2) यदि उपविधि (1) के अन्तर्गत अधिग्राही (आक्यूपायर, किरायेदार, लीज आदि पर आवास लेने वाले) को जो नोटिस दिया जाता है तो इसके विपरीत में कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेरड) या व्यक्ति (इप्लाइड) नहीं हुआ है तो मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर चर्चा की गयी उचित धनराशि मांग सकता है अथवा उस किराये में काट सकता है जो उसे मकान मालिक को देना है।

6–व्यक्तिक्रम अथवा चक्र पर कार्यवाही– यह उपविधि 5(1) के अन्तर्गत यह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किया गया है, बताये गये उपाय करने से इन्कार कर देता है तो नोटिस में विहित उपचार निर्दिष्ट समय में नहीं करवा सकता है और उसका खर्चा जैसी भी स्थिति हो मालिक या किरायेदार से वसूली कर सकता है मानो वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

7–मच्छर रोधी संरचनाओं की सुरक्षा– किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी निर्देश से अभिग्राही (ऑक्यूपायर) ने यदि कोई निर्माण करवाया है तो अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी उस जमीन या भवन का उपयोग किसी ऐसे काम के लिए रोक सकता है जो कि मच्छर-रोधी इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने या कार्य कुशलता में गिरावट लाये।

8–मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखलन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक– नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी के अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उस स्थान पर या उस भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए अध्यक्ष /अधिशासी अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी हो किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करेगा न उसे बिगाड़ेगा, न नष्ट करेगा और न बेकार करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशासी अधिकारी फिर उस रचना (स्ट्रक्चर) को बनवायेगा या उस सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्चा उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानो वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

9–घर के पात्र या बर्तन– घर, भवन, शेड (सायवान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहॉ पर कोई बोतल, बर्तन, बाल्टी, डिब्बा या अन्य को साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नहीं रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हों।

10–निर्माण कार्य जैसे–सड़क निर्माण करने, रेलवे लाईन डालने, पाईप लाईन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गढ्ढे (बोर पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहे। जहॉ भी सम्भव और व्यवहार्य हो इन बोरपिटों के किनारे को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिये किया जाये। बोरपिट के तलें में इस प्रकार का ढाल और रूप दिये जाये कि नालियों में पानी एक बोरपिट से निकलकर दूसरे में चले जायें और आखिर में सबसे समीप नाले में मिल जायें। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई बोरपिट नहीं बनवायेगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हो ।

11–यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना को क्रियान्वित करने के संबंध में किसी प्रकार के विवाद या मतभेद हो या इन उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हो, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी उलझी हो, तो इस मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

12–स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार– इन उपनियमों के प्रवर्तन हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी/ सफाई निरीक्षक के पद से अन्य कोई अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक सम्मत समय पर घरों में प्रवेश कर सकेगा। अपने क्षेत्राधिकार की किसी भी जमीन या भवन में प्रवेश और इस भवन का मालिक या किरायेदार जैसा भी हो, इस प्रवेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मच्छरजनित रोगों के नियंत्रण कार्य में जरूरत है।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा 299 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर यह निर्देश देती है कि इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के उल्लंघन पर रु0 1,000/– तक जुर्माना किया जा सकेगा और अपराध जारी रहने पर प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो 50/– रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है।

फ़ैसल वारसी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद स्योहारा,
जनपद बिजनौर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर

नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत केयरिंग चार्ज उपविधि, 2023

04 जनवरी, 2024 ई0

सं0 1814/विज्ञापन/न0पा0प0स्यो0/2023–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं तथा धारा, 298 सूची-1 की उपसूची "क से त्र" तक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, जनहित तथा स्वच्छ भारत मिशन योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु नगर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर की सीमान्तर्गत केयरिंग चार्ज के सम्बन्ध में "केयरिंग चार्ज उपविधि, 2023" बनायी गयी है। जिसको निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपविधि पर दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु उपनियमावली को नियमानुसार समाचार-पत्रों दैनिक शांह टाइम्स में दिनांक 21 सितम्बर, 2023 व समाचार-पत्र दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिन तक आम जनता की आपत्ति /सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये

गये। निर्धारित समयावधि में 01 आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका नियमानुसार निस्तारण कर उपनियमावली को अन्तिम रूप दे दिया गया, उक्त उपनियमावली का अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 की बैठक में किया गया। स्वीकृत उपनियमावली का विवरण निम्नलिखित है–

उपविधि

1– संक्षिप्त नाम– यह उपविधि नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर की केयरिंग चार्ज उपविधि-2023 कहलायेगी।

2– प्रसार– इसका प्रसार नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर की वर्तमान सीमा तथा आगामी वर्षों में होने वाली सीमा वृद्धि में होगा।

3– नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर से है।

4– प्रशासक /प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष का तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

5– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद स्योहारा, जनपद बिजनौर के अधिशासी अधिकारी से है। जो केयरिंग चार्ज अधिकारी/दण्डाधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी उपविधि में दी गयी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने सक्षम अधीनस्थ अधिकारी से करा सकता है।

6– अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्षों में केयरिंग चार्ज का पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सका तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।

7– यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

केयरिंग चार्ज की दरें

क्र0 सं0	कृत्य	पालिका द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु0
1	नगरपालिका क्षेत्र में स्थित प्रति घर पर कूड़ा संग्रहण का शुल्क/ चार्ज।	50.00 प्रतिमाह
2	बैंक/कार्यालय (सरकारी, अर्द्धसरकारी, प्राईवेट)/विद्यालय/महाविद्यालय आदि से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण करने का शुल्क/चार्ज।	100.00 प्रतिमाह
3	रेस्टोरेन्ट/ढाबों/चाय/मिठाई/मीट की दुकान आदि से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण करने का शुल्क/चार्ज।	100.00 प्रतिमाह
4	होटल/बड़े रेस्टोरेन्ट/प्रतिष्ठान/मैरिज हाल आदि से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण करने का शुल्क/चार्ज।	500.00 प्रतिमाह
		रु0
5	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	100.00 प्रतिदिन
6	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	200.00 प्रतिदिन
7	रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
8	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	2000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
9	बारात घर, गेस्ट हाऊस, बैंकट हाल द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	2500.00 प्रतिदिन
10	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
11	अपने भवन, दुकानों पर नीले एवं हरे रंग के ढक्कनदार कूड़ेदान न रखने तथा गीले, सूखे तथा खतरनाक घरेलू कचरे को अलग-अलग एकत्रित न करने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रतिदिन
12	हलवाई, चाट पकौड़ी, फास्ट फूड, आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस एवं फूड आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रतिदिन
13	डेरी मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना अथवा नाला/नालियों में बहाने पर/नाले-नालियों पर अतिक्रमण करने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
14	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि, सार्वजनिक मार्गों/स्थल पर डालने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रतिदिन
15	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर, इत्यादि परिवहन करते हुए नगरपालिका की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
16	सरकारी भवनों, चौराहों, तिराहों, सरकारी कार्यालयों की दीवारों व उनके गेट, सरकारी विद्युत् पोल पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर) अर्थदण्ड।	2000.00 प्रतिदिन
17	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोड कटिंग करने पर तथा नाला/नाली को तोड़ने एवं क्षतिग्रस्त करने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज अतिरिक्त होगा।
18	अपने भवन का सैप्टिक टैंक न होने/जल प्रवाहित शौचालय न बनवाकर गन्दगी को नाली में खुले रूप में बहाने पर तथा भवन में सैप्टिक टैंक/जल प्रवाहित शौचालय होने पर भी उसे तोड़कर उसका पानी/गन्दगी को नाली में खुले में बहाने पर अर्थदण्ड।	3000.00 प्रतिदिन
19	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल, बड़े वाहनों की रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
20	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियों, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
21	मुर्ग़े, मछली, अण्डे की पकौड़ी बनाकर बेचने वाले दुकानदार द्वारा मांस एवं हड्डियों, मलबा, मलीदा, खून, मुर्ग़े के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
22	सार्वजनिक मार्ग, चौराहों व भवनों, दुकानों आदि के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, सूअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर सम्बन्धित पशु के स्वामी से पालतू जानवरों के खुले घूमते पाये जाने पर उनको नगरपालिका परिषद, स्योहारा द्वारा पकड़वा कर नगरपालिका परिषद, स्योहारा के कांजी हाऊस में बन्द किया जायेगा, जिनको निर्धारित जुर्माना दे कर 7 दिन के अन्दर छुड़ाया जा सकेगा। 7 दिन तक न छुड़ाने पर उक्त जानवर को जब्त कर नीलाम किया जायेगा अर्थदण्ड।	1500.00 प्रति जानवर प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
23	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा सार्वजनिक मार्ग स्थल, नाला, नाली आदि में गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रतिदिन
24	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग, चौराहों, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
25	सार्वजनिक मार्ग, सड़क, फुटपाथ, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा, होटल आदि चलाकर गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड।	3000.00 प्रतिदिन
26	विभिन्न चिकित्सकीय संस्थानों जैसे–प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब इत्यादि के जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
27	सड़क किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन तथा पानी का कनैक्शन काटने पर चार्ज अतिरिक्त होगा।
28	सड़क किनारे, फुटपाथ, रेलवे लाईन किनारे, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि में खुले में शौच करने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
29	सड़क किनारे, फुटपाथ, रेलवे लाईन किनारे, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि में खुले में पेशाब करने पर अर्थदण्ड।	200.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
30	सड़क किनारे, फुटपाथ, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि, सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर थूकने, तम्बाकू, पान आदि की पीक थूकने पर अर्थदण्ड।	200.00 प्रतिदिन
31	सार्वजनिक स्थल सरकारी कार्यालयों में धूमपान, मद्यपान करने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
32	अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कूड़ादान (डस्टबिन) न रखने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रतिदिन
33	मानक रहित पॉलीथीन में कूड़ा एकत्रित करने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
34	सड़क पटरी, सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक मार्ग पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर अर्थदण्ड–	
	(1) 5 के0वी0ए0 जनरेटर तक	1000.00 प्रति जनरेटर प्रतिदिन
	(2) 5 के0वी0ए0 से 10 के0वी0ए0 तक	2000.00 प्रति जनरेटर प्रतिदिन
	(3) 10 के0वी0ए0 से अधिक पर	3000.00 प्रति जनरेटर प्रतिदिन
35	नगरपालिका सीमान्तर्गत दूध विक्रेताओं द्वारा बिना नगरपालिका में पंजीकरण कराये दूध बिक्री का कार्य करने पर अर्थदण्ड।	2000.00 प्रतिदिन
36	सार्वजनिक नाले, नालियों, स्थानों पर स्लैब/स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण करने तथा अवैध प्रक्षेप (छज्जा, टीनशेड आदि) डालने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
37	नगरपालिका की सम्पत्ति, शासकीय सम्पत्तियों, भवनों, दुकानों आदि को क्षति पहुँचाने एवं पालिका की बिना अनुमति के उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण/परिवर्तन करने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
38	वाहन पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान के अलावा सार्वजनिक मार्गों, चौराहों, सरकारी भूमि पर वाहन खड़ा करके अवरोध उत्पन्न करने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
39	नॉन वेंडिंग ज़ोन में ठेला, ठेली, फ़ड़ इत्यादि लगाकर व्यवसाय करने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रतिदिन
40	नगरपालिका सीमान्तर्गत सार्वजनिक मार्गो/सार्वजनिक स्थलों/निजी सम्पत्तियों आदि पर कूड़ा, प्लास्टिक की वस्तुयें, तार, पॉलीथीन आदि जलाकर वायु में प्रदूशण करने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
41	नगरपालिका सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भवन निर्माण करने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
42	नगरपालिका की बिना लिखित अनुमति के पालिका की पाइप लाइनों से जल संयोजन लेना, पाइप लाइनों में छेड़-छाड़ करना/क्षति पहुँचाने पर अर्थदण्ड।	2000.00 प्रतिदिन
43	नगरपालिका सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति संतापकारी खतरनाक एवं आपत्तिजनक व्यापार जैसे–पटाखे बनाना / बिक्री करना आदि जिससे जनसुरक्षा को खतरा हो उन पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
44	नगरपालिका की सीमान्तर्गत अपने भवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को किराये पर रखना जिसकी जाँच पड़ताल सक्षम अधिकारी द्वारा न की गयी हो एवं किरायेदार की सूचना पालिका को न देने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
45	सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक सम्पत्तियों/मार्गों/पार्कों पर लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचाने पर अर्थदण्ड।	2000.00 प्रतिदिन
46	नगरपालिका की सीमान्तर्गत उचित प्रकाश के बिना सड़क पर किसी वाहन को चलाने पर अर्थदण्ड।	200.00 प्रतिदिन
47	नगरपालिका की सीमान्तर्गत स्कूल, कालेज, विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास 100 मीटर की परिधि में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, शराब आदि पदार्थों की बिक्री करने पर अर्थदण्ड।	2000.00 प्रतिदिन
48	नगरपालिका की सीमान्तर्गत स्कूल, कालेज, विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास अनैतिक प्रयोजन से आवारा घूमने पर अर्थदण्ड।	2000.00 प्रतिदिन
49	नगरपालिका की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
50	नगरपालिका की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवासीय क्षेत्रों में सूअर पालन, मुर्ग़ी पालन, डेरी व्यवसाय आदि कार्य करने पर अर्थदण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
51	नगरपालिका की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निजी जल संचयन स्रोत जैसे-टिल्लू पम्प, जैड पम्प, समरसेबिल पम्प लगाने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रतिदिन
52	नगरपालिका की सीमान्तर्गत पालतू कुत्तों के पहचान हेतु बेल्ट न बाँधने एवं वैक्सीन (एंटी रैवीज़ टीका) न लगवाने पर अर्थदण्ड।	1000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
53	भवन/दुकान स्वामियों द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रति प्रकरण
54	नगरपालिका की सीमान्तर्गत पालतू कुत्तों का नगरपालिका में रजिस्ट्रेशन न कराये जाने पर अर्थदण्ड।	1000.00 मासिक
55	नगरपालिका की सीमान्तर्गत किसी भी आयु के व्यक्ति द्वारा भीख माँगने का कार्य करने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
56	नगरपालिका परिषद, स्योहारा सीमान्तर्गत लकड़ी की टाल लगाकर सार्वजनिक मार्गों, स्थलों आदि पर अतिक्रमण करने पर अर्थदण्ड।	10000.00 प्रतिदिन
57	10 x 10 वर्ग फीट की फड़ का भूमि किराया धारा-127 के अन्तर्गत	50.00 पैसा प्रति वर्ग फीट या 50.00 रू0 प्रति फड़

नोट– यह उपविधि गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

फैसल वारसी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद स्योहारा,
जनपद बिजनौर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, मेरा सही नाम मनोज कुमार यादव (MANOJ KUMAR YADAV) तथा मेरी पत्नी का सही नाम मनीषा यादव (MANEESHA YADAV) जो हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के हाई स्कूल के अंक पत्र (अनुक्रमांक-23249815) में मेरा तथा मेरी पत्नी का नाम क्रमशः मनोज यादव (MANOJ YADAV) तथा मनीषा यादव (MANISHA YADAV) अंकित हो गया जो कि गलत है।

मनोज कुमार यादव,

निवासी, बी/30 गोविन्दपुर कालोनी प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रीती भट्ट पुत्री स्व0 नंदा बल्लभ पाण्डेय पत्नी चन्द्र शेखर भट्ट है जो कि मेरे पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6631 5302 9151 में मेरा नाम शोभा भट्ट अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रीती भट्ट पत्नी चन्द्र शेखर भट्ट के नाम से जाना व पहचाना जाय वर्तमान में मै प्रीती भट्ट पत्नी चन्द्र शेखर भट्ट, पता-49, खसरा संख्या-302, राम प्रताप नगर, रामपुर देवरई, तहसील-बक्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ-227202 में निवास कर रही हूँ।

प्रीती

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम अनिल कुमार है, जो मेरे हाईस्कूल सह-अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक/यूनिक आई0डी0 7406101) में तथा मेरे पिता के शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे इण्टर मीडिएट सह-अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक-23723758) में मेरे पिता का नाम अनिल केशरी हो गया है, जो कि गलत है। समर्थ केशरी पुत्र अनिल कुमार, पता-चिनिहवा, इनारा मीरजापुर उ0प्र0।

समर्थ केशरी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स-द हाइप रूम, टी0सी0जी0 3/3, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ 226010 रजि0 नं0-LUC/0010791 का पंजीकरण दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 को कराया गया था जिसमें सार्थक गुप्ता प्रथम, शुभ भट्ट द्वितीय साझीदार थे। उक्त फर्म के द्वितीय साझीदार शुभ भट्ट दिनांक 01 फरवरी, 2024 से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा भविष्य में इस फर्म से इनका कोई लेना-देना नहीं होगा एवं उनके स्थान पर राकेश कुमार सिंह एवं हिमांशु सिंह को दिनांक 01 फरवरी, 2024 से द्वितीय एवं तृतीय साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में सार्थक गुप्ता प्रथम, राकेश कुमार सिंह द्वितीय एवं हिमांशु सिंह तृतीय साझीदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सार्थक गुप्ता
साझेदार

सूचना

एत्द द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स आर0 वाई0 हैण्डलिंग एण्ड ट्रांसपोर्टर, ग्राम-सिहानीपारा, पगरोई, पोस्ट-सेलूमऊ, जिला-सीतापुर जिसका पंजीयन संख्या 194182 है, जिसमें अभी तक चार साझेदार श्री राजेश यादव, श्री विष्णु चन्द्र निगम, श्री जयपाल वर्मा, श्री मिथलेश कुमार सिंह थे, जिसमें से दो साझेदार क्रमशः श्री जयपाल वर्मा एवं श्री मिथलेश कुमार सिंह दिनांक 30 जनवरी, 2024 से फर्म की साझेदारी से निकल गये है तथा चार नये साझेदार क्रमशः श्री राम पाल सिंह यादव, श्री प्रदीप कुमार, श्री जितेन्द्र कुमार एवं श्री प्रकाश सिंह दिनांक 30 जनवरी, 2024 से फर्म की साझेदारी में शामिल हो गये है। वर्तमान में फर्म में 06 साझेदार क्रमशः श्री राजेश यादव, श्री विष्णू चन्द्र निगम, श्री राम पाल सिंह यादव, श्री प्रदीप कुमार, श्री जितेन्द्र कुमार एवं श्री प्रकाश सिंह साझेदार है। जिसकी सूचना दी जा रही है।

राजेश यादव
साझेदार
मेसर्सः आर0 वाई0 हैण्डलिंग एण्ड ट्रांसपोर्टर,
जिला-सीतापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 बी0के0 कास्टिंग, सी 6 फाउन्ड्री नगर आगरा उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री हसमुख बंसल पुत्र श्री कन्हैया लाल बंसल, श्री अनुराग बसंल पुत्र श्री हसमुख बंसल सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2002 को संचालन की थी दिनांक 20 अगस्त, 2021 से श्रीमती मंजू लता बंसल पत्नी स्व0 हसमुख बंसल नये साझेदार के रूप में शामिल हो गयी हैं दिनांक 20 अगस्त, 2021 श्री हसमुख बंसल पुत्र श्री कन्हैया लाल बंसल की मृत्यु हो गयी है। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्रीमती कनिका बसंल पत्नी श्री अनुराग बंसल नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गयी है दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को श्रीमती मंजू लता बसंल पत्नी स्व0 हसमुख बंसल उक्त फर्म से स्वेच्छा से अलग हो गयी है फर्म में उनका कोई लेन-देन बकाया नही है। अब फर्म को श्री अनुराग बंसल, श्रीमती कनिका बंसल संचालित करेंगे।

अनुराग बंसल
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै0 फ्रैण्ड्स ग्रुप, बी-39 सेक्टर सी-1, शास्त्रीपुरम, आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम श्री कैसर अली, मोहम्मद हन्नान दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 02 अगस्त, 2023 को संचालन की थी। दिनांक 17 फरवरी, 2024 से फर्म के पुराने पते बी-39 सेक्टर सी-1, शास्त्रीपुरम, आगरा को परिवर्तित कर नया पता फ्लैट नं0-402, 4र्थ फ्लोर, न्यू राजा मण्डी कॉलोनी, आगरा की दिया गया है।

कैसर अली,

साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 एस0आर0एन0एम0 एन्टरप्राइजेज, ए 24/25 मोती कुंज मथुरा उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री सोनल अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल, श्रीमती रानी अग्रवाल पत्नी स्व0 विनोद कुमार अग्रवाल, श्रीमती नेहा अग्रवाल पत्नी श्री सोनल अग्रवाल, श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी श्री रमेश

चन्द्र अग्रवाल सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 02 मार्च, 2022 को संचालन की थी दिनांक 15 सितम्बर, 2023 से श्री प्रवीन कुमार पोनिया पुत्र श्री राम कुमार प्रताप सिंह, श्री रितेश अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र अग्रवाल नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये है दिनांक 15 सितम्बर, 2023 श्रीमती नेहा अग्रवाल पत्नी श्री सोनल अग्रवाल, श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नही है अब फर्म को श्री सोनल अग्रवाल, श्रीमती रानी अग्रवाल, श्री प्रवीन कुमार पोनिया, श्री रितेश अग्रवाल संचालित करेंगे।

सोनल अग्रवाल
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम-कार्तिक मेहरोत्रा है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार संख्या-4146 7339 7994 में पुत्र का नाम मौलिक मेहरोत्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है।

आकाश मेहरोत्रा
पता-बी-2/14सेक-एफ गोपी कृष्ण कुटीर,
कल्याण पार्क के सामने,
जानकीपुरम, लखनऊ उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है राम पाल सिंह मुख्तयार अहमद, 509, न्यू शिवपुरी नियर (महिला डिग्री कालेज), खुर्जा, जिला- बुलन्दशहर- 203131 की संशोधित साझीदारीनामा में श्री विनोद कुमार तेवतिया, श्रीमती पुष्पलता एवं श्रीमती वर्षा साझीदार है। दिनांक 15 जनवरी, 2024 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार तीनों साझीदारों की सहमति से फर्म का नाम M/s Concept Construction परिवर्तित कर दिया गया है। यह घोषिणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विनोद कुमार तेवतिया
साझीदार
M/s Concept Construction,
509, New Shivpuri (Near Mahila Degree College),
Khurja, District-Bulandshahr-203131.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स मसूरी इण्डेन सेवा, ग्राम व पोस्ट मसूरी, जिला मेरठ-250001 की संशोधित साझीदारी दिनांक 12 नवम्बर, 2020 के अनुसार श्री रविन्द्र कुमार, श्री मोहित शर्मा एवं श्री अनुज सिंह साझीदार थे। दिनांक 16 जनवरी, 2024 संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री रविन्द्र कुमार साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुए है। दिनांक 16 जनवरी, 2024 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री मोहित शर्मा एवं श्री अनुज सिंह साझीदार है। यह घोषणा करता हूं कि एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है। यह घोषणा करता हूँ कि एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मोहित शर्मा,
साझीदार,
मैसर्स मसूरी इण्डेन सेवा,
ग्राम व पोस्ट मसूरी, जिला मेरठ-250001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स विक्रान्त एचपी गैस एजेन्सी, निकट कैनरा बैंक, पुराना बाजार बिनौली, जिला-बागपत-250345 की साझीदारी में श्री नवाब उर्फ नवाव सिंह राणा एवं श्रीमती सरस्वती राणा साझीदार थे। दिनांक 27 जनवरी, 2024 की विघटित साझीदारीनामा के अनुसार दोनों साझीदारों श्री नवाब उर्फ नवाव सिंह राणा एवं श्रीमती सरस्वती राणा की आपसी सहमती से फर्म की साझीदारी को विघटित कर किया गया है। फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/व्यक्ति का ऋण/देयता नही है। यदि पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी हम साझीदारों की संयुक्त रूप से होगी। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नवाब उर्फ नवाव सिंह
साझीदार
मैसर्स विक्रान्त एचपी गैस एजेन्सी,
निकट कैनरा बैंक, पुराना बाजार बिनौली,
जिला-बागपत-250345।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s GENNEXT PORTFOLIO MANAGEMENT, L-46 INDIRA NAGAR RAEBARELI, 229001, दिनांक 29 मई, 2019 को प्रारंभ की गई थी जिसका पंजीकरण नंबर RAE/0004106 है, जिसके साझेदार श्री मोहित गर्ग पुत्र श्री हरिओम कुमार गर्ग निवासी L-46, इंदिरा नगर, रायबरेली एवं श्रीमती माया प्रजापति पत्नी नितिन निवासी ई-5, प्रगतिपुरम, रायबरेली है। साझेदारों की आपस में सहमति से फर्म का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। 01 जनवरी, 2024 से फर्म का नाम M/s GENNEXT PORTFOLIO MANAGEMENT से M/s GENNEXT SHARES & SECURITIES हो गया है।

मोहित गर्ग
साझेदार,
पुराना नाम- M/s GENNEXT PORTFOLIO MANAGEMENT,
नया नाम- M/s GENNEXT SHARES & SECURITIES,
पता-एल-46, इंदिरा नगर, रायबरेली।

NOTICE

In my CBSE Board High School Mark Sheet (5125175, Session 2009-11) & Intermediate Mark Sheet (5625642, Session 2011-13) my mother's name is wrongly mentioned as Anita Rajeev, whereas correct name is Anita Saxena.

Yashika Saxena D/o Rajeev Kishore Saxena, 7-Pushkar Enclave, Stadium Road, Bareilly.

Yashika Saxena.

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 8–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।